वार्षिक रपट (रिपोर्ट)

2001 - 2002

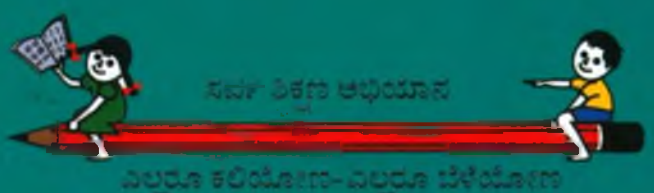

सर्व शिक्षा अभियान

कर्नाटक

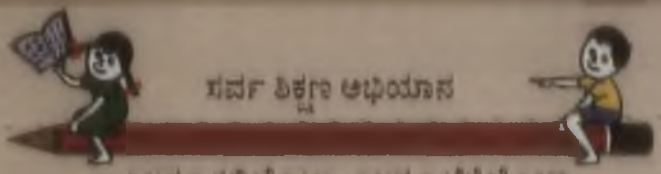

सर्व शिक्षा अभियान

कर्नाटक

वार्षिक रपट

2001-02

सर्व शिक्षा अभियान समिति - कर्नाटक
नव सार्वजनिक कचहरी - नृपतुंगा मार्ग
बेंगलोर - 560001
दूरवाणी : 22483580/4720 ई. पी .ए.बी एक्स

हमारा ध्येय

शाला के व्यवहारों में समुदाय के क्रियात्मक भाग
लेने के द्वारा सभी सामाजिक व लिंग संबंधी खाई
को पाटकर ई 2001 तक सब को तृप्तिकर गुणवत्ता
पूर्ण प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना।

कर्नाटक मानचित्र

(डी.पी.ई.पी और सर्वशिक्षा अभियान के जिले)

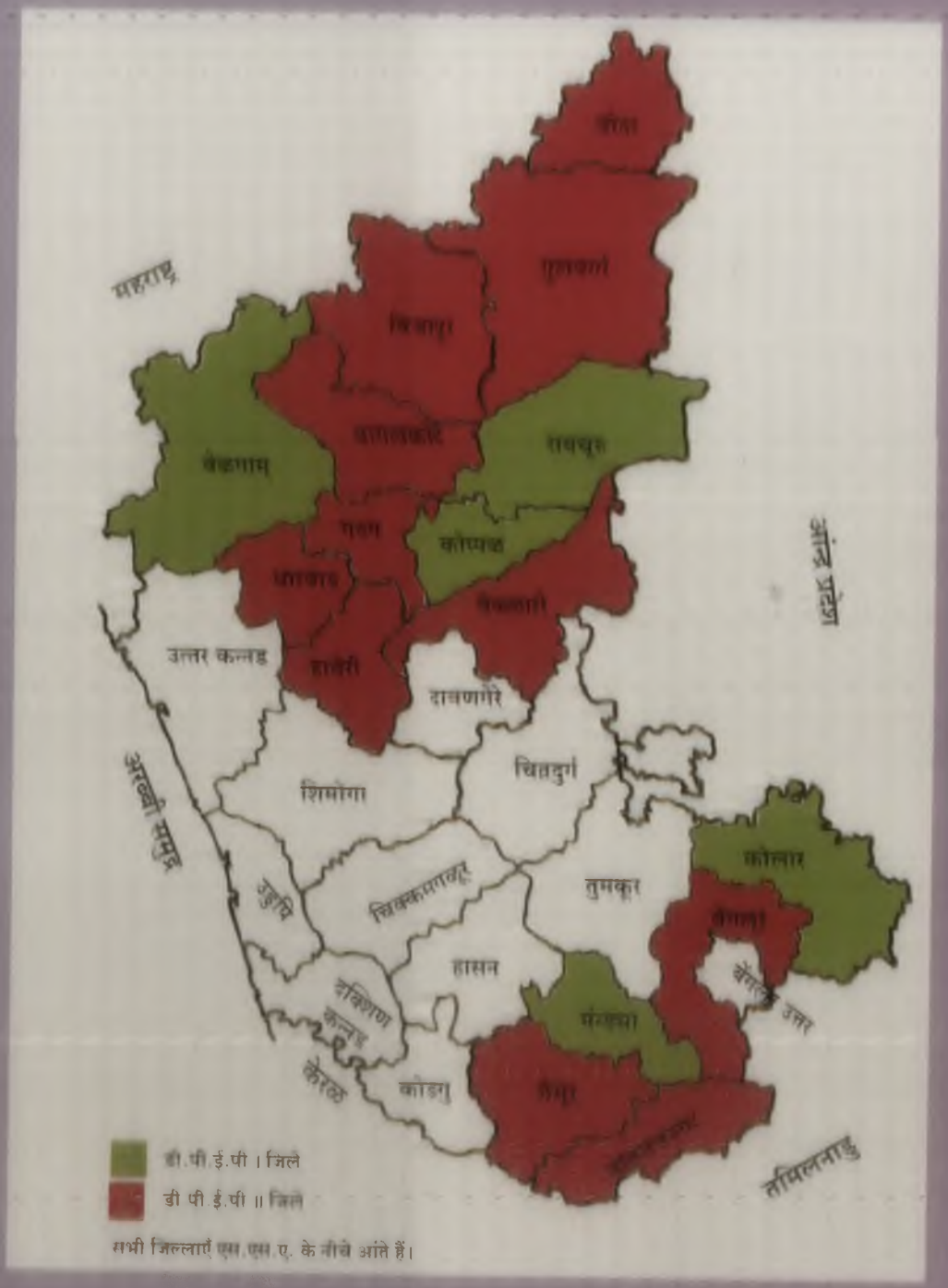

विषय सूची

पूर्वपीठिका और प्रचलित अंश	1
सर्व शिक्षा अभियान (एस, एस. ए) प्राथमिक शिक्षा के सार्वत्रीकरण की ओर एक कदम	12
प्रक्रिया	17
जिला प्राथमिक शैक्षणिक योजनाओं को (डी.पी.ई.पी) सिद्ध करने भाग लेने की योजना पद्धति	25
वित्त व्यवस्था	35
लेखा - परीक्षा कृत हिसाब	39

भूमिका

सर्व शिक्षा अभियान - कर्नाटक को आपके सामने अपने प्रथम वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हर्ष हो रहा है। सर्व शिक्षा अभियान ने देश की सारी जिलाओं को आच्छादित करनेवाली भारी उछाल लेकर, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को जिला प्राथमिक शिक्षा की सार्वत्रीकरण दिशा में माध्यामिक कक्षाओं तक पहुँचाने में अपने हस्तक्षेपों को विस्तृत करते हुए नये सवालों के क्षेत्रों को पहचानते हुए निर्दिष्ट लक्ष्यों को बनाया है। इन निर्दिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तथा शिक्षा की जिम्मेदारी के लिए स्थानीय समुदाय की गतिशीलता को पूर्व अवश्यकता के रूप में मान लिया गया है। शालाभिवृद्धि तथा व्यवस्थापक समितियों ने ग्रामों के स्तर में शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी लेने के सामर्थ्य को स्पष्ट दिखाया है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वत्रीकरण साधना मार्ग की बाधाओं को पहचानकर मार्ग को आसान बनाने पूर्व भावी (प्रारंभिक) कार्यकलापों को पूरा किया है। प्राथमिक स्तर में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए, विविध कक्षाओं के बच्चें की सीखने की साधना स्तरों को पहचानकर सूक्त सिखाने -सीखने योग्य अनुभवों को देने आवश्यक प्रतिसंभरण (पुनः पोषण) को मूलस्तर अध्ययनों ने दिया है।

हम नहीं मानते हैं कि आगे के चित्रण हमारे या तो अनुभवों के वैविध्य या हस्तक्षेपों से पूर्ण है । क्रियात्मक प्रक्रियाओं तथा परिवर्तन के लिए तैयार की गई भूमिका की एक झलक देने का यद एक प्रयत्न है।

राज्य योजना निदेशक
सर्व शिक्षा अभियान
कर्नाटक

अध्याय-1

पूर्व पीठिका और प्रचलित अंश

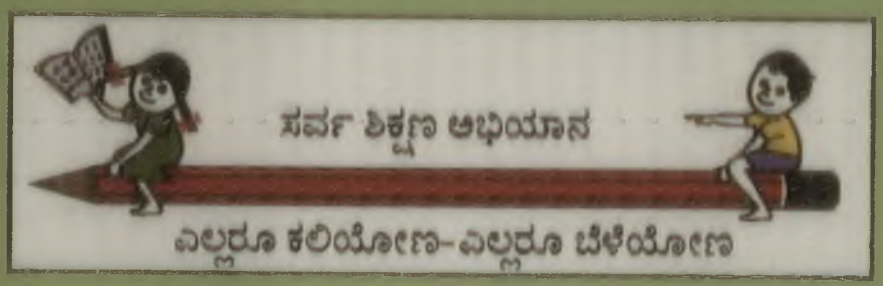

1948 के मानव अधिकार धोषणा में शिक्षा को मूलभूत अधिकार माना गया है। लेकिन आज भी लाखों व्यक्ति शिक्षा से वंचित हैं तथा यह नहीं समझते हैं कि यह एक ऐसा अधिकार है जिसे माँग किया जा सकता है।

कोचिरो माटसूरा
महानिदेशक युनेस्को

1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 1992 की क्रियायोजना ने प्राथमिक शिक्षा के सार्वत्रीकरण के लिए देश की प्रतिबद्धता को बार बार दुहराया है और 1992 की दिसंबर माह की विश्व संस्था के बच्चों के अधिकार के समझौते में भारत ने अपनी विधियुक्त बद्धता को न केवल प्रकट ही किया बल्कि सभी बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा दिलाने का कानून बद्ध जिम्मेदारी को ले लिया है।

शिक्षा की महत्ता राष्ट्रप्रगति के साधन के रुप में आर्थिक और सामाजिक चलनशीलता के मार्ग के रुप में और निर्दिष्टता से, दुर्बल वर्गों ने जीवन की गुणवत्ता को फलप्रद सुधारने के कार्यतंत्र के रुप में स्वातंत्रय संग्राम के नेताओं से बहुत पहले ही पहचाना गया था। 1937 के पहले ही महात्मा गाँधीजी के द्वारा सभी बच्चों को सात सालों की मुक्त मूलभूत शिक्षा की सूचना दी गई थी तथा शिक्षा को प्रज्ञाभिवृध्दि तथा सामाजिक पुनर्निर्माण की मूल साधना के रुप में माना गया था।

भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय में देश की शिक्षा परिस्थिति तृप्तिदायक नहीं रहा। अंग्रेज़ - भारतीय शैक्षणिक व्यवस्था चुने हुए इन-गिने लोगों के लिए आरक्षित रहकर शिक्षित अशिक्षितों के नीच भारी अंतर का निर्माण कर दिया। आर्थिक असमानता लिंगभेद और धर्म के विविध स्तरों के नीति नियमों ने शैक्षणिक असमानता को बढ़ा दिया था।

पिछले मैसूर राज्य में ई 1912 में ही "मैसूर प्राथमिक शिक्षा कानून" की घोषणा जो हुई थी, यह प्राथमिक शिक्षा सार्वत्रीकरण में प्रथम प्रयत्न रहा। ई 1914 -15 में इस कानून को चुने हुए 15 क्षेत्रों में जारी किया गया। फिरभी सरकार ने सोचा कि शाला सहूलियतों की तीव्र विस्तार की अपेक्षा उस समय प्रस्तुत शालाओं का सुधार ही महत्व का है। अतः ई 1926 में इसका पुनर्विमर्शा करके इसे स्थगित कर दिया।

लेकिन ई 1941 में मैसूर प्राथमिक शिक्षा कानून (परिष्कृत) को जारी करने के द्वारा सरकार ने स्थलीय संस्थाओं से प्राथमिक शिक्षा को अपने नियंत्रण में ले लिया।

आर्थिक और सामाजिक संकष्टों की पुष्टभूमि में सब बच्चों को अनिवार्य शिक्षा योजना का श्री गणेश करना समुचित न समझा गया। इससे ई 1944 के मैसूर प्रारंभिक शिक्षा कानून ने

सूचना दी कि स्वयं प्रेरणा से बच्चों को शाला मे भर्ती करके सीढ़ी खतम होने तक या 12 साल की आयु तक (जो भी पहला हो वहाँ तक) शाला में शिक्षा को आगे बढ़ाया जाय। इसके अलावा कानून में 10 सालों की अवधि में साध्य अनिवार्य उपस्थिति के लिए भी अवसर प्रदान किया गया। कानून ने समयोचित फलप्रद परिणाम न लाने के कारण और शासन सभा में बार बार जोर लगाने के कारण कानून में निहित पूर्ण अनिवार्यता को 1-8-1947 से संपूर्णतया जारी करने सरकार ने फैसला कर दी। प्रथमतः संपूर्ण अनिवार्य नीति को 9 होबलियों मे जारी कर दिया गया तदनंतर इसे 9 तालूकों तक विस्तृत किया गया। लेकिन आर्थिक संकष्टता के कराण इसका विस्तार स्थगित होकर अतृप्ति का वातावरण बना।

इस प्रकार के संदर्भ के घातक परिणामों को शीघ्र सामना करने की संभावना का पता लगाकर भारत के संविधान कर्ताओं ने स्वतंत्र भारत की शिक्षा संबंधी भविद्धर्शन को 45 वीं विधि में अनावरण कर दिया। इसके अनुसार ''इस संविधान की जारी की 10 वर्षो के अन्दर 14 वर्षो की आयु के पूर्ण होने तक मुक्त (उचित) और अनिवार्य शिक्षा को सभी बच्चों को देने का प्रयत्न सरकार को करना चाहिए।''

इस लक्ष्य को साधने को अगले सभी प्रयत्न सब बच्चों को मूल शिक्षा देने की ओर है। 1960 के अन्दर सब बच्चों को शिक्षा देने का यह लक्ष्य अबतक फलप्रद नहीं हुआ है फिर भी चार दशकों की इस अवधि में लाक्ष्य मे रखे गये विविध वर्गो की अवश्यकताओं तथा इच्छाओं को जानने की साधना हुई है।

ई 1992 की परिष्कृत राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षा साधना की आद्यता को निस्संदिग्ध रुप से बता दिया है।

''..... एक निश्चित स्तर तक, सभी विद्यार्थी तुलनात्मक गुणवत्ता शिक्षा के समान अवसर प्राप्त करें। इसके अलावा किसी भी सामाजिक - आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चों को समाज के उच्च वर्ग के बच्चों के समान गुणवत्ता स्तर साधना करने का अवसर प्राप्त हों और देश को सबको सामान्य शाला। शिक्षा की ओर कदम बढ़ाना चाहिए।'' यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कथन है। देश भर शिक्षा में पिछडे हुए राज्यों के अलावा अन्य स्थानों में भी शिक्षा में पिछडे हुए छोटे क्षेत्रों पर भी काफी ध्यान देने क्षेत्र निर्दिष्ट और जनसंख्या निर्दिष्ट योजनानुसार केवल भर्ती - उपस्थिति के अलावा गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा पर भी जोर डालने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति सोचती है।

जनसंख्या और साक्षरता :

कर्नाटक के चारों शासन विभागों मे जनसंख्यात्मक लाक्षणिक अंतर रहने से उसे निम्नोक्त सारणी स्पष्ट करता है :

सारणी - 1

जिला	1000 लोगों के लिए 2001	जन संख्या वर्ग कि.मी. के. लिए 2001	1991-01 की वार्षिक वृद्धि %	लिंग अनुपात 2001	कुल साक्षरता दर (2001	कुल साक्षरता दर पुरुष (2001)	कुल साक्षरता दर स्त्री (2001)
बेलगांव	4207.2	314	1.74	959	64.42	75.89	52.53
बागलकोट	1652.2	251	1.88	977	57.81	71.31	44.10
बिजापुर	1808.8	172	1.76	948	57.46	68.10	46.19
गुल्बर्गा	3124.8	193	2.10	964	50.65	62.52	38.40
बीदर	1501.3	276	1.95	948	61.98	73.29	50.51
रायचूर	1648.2	241	2.19	980	49.54	62.02	36.84
कोप्पल	1193.4	166	2.45	982	55.02	69.15	40.76
गदग	971.9	209	1.31	968	66.27	79.55	52.58
धारवाड	1603.7	376	1.66	948	71.87	81.04	62.20
उत्तर कन्नड	1353.2	132	1.09	970	76.59	84.48	68.48
हावेरी	1437.8	298	1.32	942	68.09	77.94	57.69
बल्लारि	2025.2	240	2.23	969	58.04	69.59	46.16
चित्रदुर्गा	1510.2	179	1.50	955	64.88	74.69	54.62
दावणगेरे	1789.6	302	1.47	951	67.67	76.44	58.45
शिमोगा	1639.5	193	1.29	977	74.86	82.32	67.24
उडुपी	1109.4	286	0.68	1127	79.87	86.59	74.02
चिक्कमगलूर	1139.1	158	1.19	984	72.63	80.68	64.47
तुमकूर	2579.5	243	1.18	966	67.19	76.88	57.18
कोलार	2523.4	307	1.38	970	63.14	73.14	52.81
बेंगलोर	6523.1	2979	3.48	906	83.91	88.36	78.98
बेंगलोर ग्रामीण	1877.4	323	1.22	953	65.00	74.43	55.12
मण्ड्या	1761.7	355	0.71	985	61.21	70.71	51.62
हासन	1721.3	253	0.96	1005	68.75	78.29	59.32
दक्षिण कन्नड	1896.4	460	1.45	1023	83.47	89.74	77.39
कोडगु	545.3	133	1.16	996	78.17	83.80	72.53
मैसूर	2624.9	383	1.50	965	63.69	71.30	55.81
चामराजनगर	964.2	189	0.91	968	51.26	59.25	43.02
कर्नाटक	52733.9	275	1.72	964	67.04	76.29	57.45
भारत	1027015.2	324	2.13	923	65.38	75.85	54.16

प्रस्तुत कर्नाटक में साक्षरता साधना साधारण है। ग्रामांतर प्रदेशों मे साधना कम है। कर्नाटक की कुल साक्षरता दर 67.1% है पुरुष -स्त्री अंतर उच्चतर रहकर पुरुष साक्षरता दर 76.29% होतो स्त्री साक्षरता दर 57.45% है। निम्नोक्त सारणी कर्नाटक के स्त्री- पुरुष साक्षरता दर की तुलनात्मक बढ़ती (वृद्धि) को दर्शाता है।

सारणी- 2

क्रम संख्या	जिला	पु/स्त्री	1961	1971	1981	1991	2001
1.	बेंगलोर	पु	27.27	34.74	42.70	57.20	76.76
		स्त्री	7.26	14.10	19.68	39.69	60.81
2.	बेंगलोर ग्रामीण	पु				49.53	72.36
		स्त्री				28.20	51.05
3.	चित्रदुर्गा	पु	32.54	37.05	43.84	50.96	71.77
		स्त्री	8.70	15.21	21.14	29.37	49.97
4.	दावणगेरे	पु					73.26
		स्त्री					52.52
5.	कोलार	पु	24.93	30.15	37.95	47.54	69.22
		स्त्री	6.41	10.59	14.86	24.30	45.93
6.	शिमोगा	पु	34.48	40.98	49.05	55.80	78.86
		स्त्री	12.39	21.65	28.30	37.24	61.07
7.	तुमकूर	पु	31.03	36.83	45.18	53.46	74.34
		स्त्री	7.90	14.93	21.07	31.32	52.63
8.	बेलगावि	पु	33.17	37.33	43.29	50.23	71.71
		स्त्री	9.34	12.92	17.98	25.50	45.99
9.	बिजापुर	पु	33.98	35.55	40.31	53.04	63.53
		स्त्री	7.98	10.18	13.61	28.44	40.54
10.	बागलकोटे	पु					66.71
		स्त्री					37.11
11.	धारवाड	पु	43.72	46.77	49.56	54.73	73.28
		स्त्री	14.11	19.22	23.12	30.41	47.91
12.	गदग	पु					76.64
		स्त्री					46.36
13.	हावेरि	पु					76.93
		स्त्री					54.74
14.	उत्तर कन्नड	पु	40.07	46.36	53.10	61.12	81.56
		स्त्री	19.39	27.63	33.76	43.34	63.57
15.	बल्लारि	पु	28.09	29.67	35.32	41.79	64.04
		स्त्री	5.56	9.61	12.61	19.36	37.45
16.	बीदर	पु	20.85	27.35	33.53	42.70	69.95
		स्त्री	2.76	5.76	9.80	19.44	44.88

17	गुलबर्गा	पु स्त्री	19.63 2.93	24.44 4.75	29.96 7.80	34.98 12.71	55.55 29.67
18	रायचूर	पु स्त्री	23.06 3.30	28.06 6.93	32.09 9.82	34.87 13.05	56.87 29.38
19.	कोप्पळ	पु स्त्री					66.88 37.02
20.	चिक्कमगलूर	पु स्त्री	34.48 13.05	40.78 21.80	49.40 30.04	57.74 40.35	78.86 61.19
21.	दक्षिण कन्नड	पु स्त्री	37.19 19.72	48.01 30.23	58.04 40.45	68.95 55.14	87.23 72.94
22.	उडुपि	पु स्त्री					84.91 71.60
23.	हासन	पु स्त्री	32.32 9.39	37.73 15.79	45.22 22.06	55.23 33.60	75.78 55.03
24.	कोडगु	पु स्त्री	34.31 15.74	47.54 35.37	53.78 40.70	62.00 49.77	82.34 70.37
25.	मण्ड्या	पु स्त्री	23.31 5.25	28.47 9.99	37.40 16.14	47.61 27.39	68.08 47.64
26.	मैसूर	पु स्त्री	21.01 5.21	24.31 8.83	30.06 12.96	38.70 21.43	61.67 42.93
27.	चामराजनगर	पु स्त्री					55.82 39.10
	कुल	**पु** **स्त्री**	**30.49** **9.19**	**35.40** **14.54**	**42.06** **19.77**	**49.80** **28.77**	**71.77** **49.98**

प्राथमिक शिक्षा प्रसार

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्राथमिक शिक्षा में गणतीय प्रगति हुई है। शाला सहुलियतों की देन तथा उपस्थिति दर भी फलप्रद हैं।

समस्या

परिमाणात्मक विस्तार के बाद भी सब बच्चों को मूल शिक्षा देने का लक्ष्य साकार नहीं हुआ है। जनसंख्या वृध्दि के फलस्वरुप की आर्थिक बाधाओं ने संपन्मूल और अवश्यकता ओं के बीच की तुलना पर व्यतिरिक्त परिणाम डाला है। अब तक असंख्यात शालाओं में आवश्यक भवनों की कमी है। शालाओं मे भर्ती करने आवश्यक हजारों बच्चे अब भी हैं। भर्ती की गई बच्चों में अधिक प्रतिशत बच्चे प्राथमिक स्तर पूरा करने के पहले ही शाला छोड देते हैं। कम प्रशिक्षित शिक्षक अनाकर्षक कक्षा का वातावरण बच्चों के शाला छोडने में अपनी देन दे रहे हैं।

सीखने का साधना स्तर कम हुआ है। समता साधना की दिशा में सुधार होनेपर भी लिंगभेद और जाति (वर्ग) संबंधी तर-तम भेद अस्तित्व में है। प्राथमिक शिक्षा सार्वत्रीकरण के लिए गरीबी प्रमुख बाधा है। शाला में रहने लायक हजारों बच्चे खेतों में, पशु चराने में जल ईंधन व चारा संग्रह करने में छोटे - बडे व्यापार करने में तथा मज़दूरी करने में 'रत' जो हैं - देख सकते हैं।

मिम्नोक्त सारणी, शाला छोडनेवाले बच्चों की संख्या कम होते रहने पर भी, साल ब साल की महत्तर प्रगति को भी दर्शाता है।

1992 -93 से 2001 - 02 तक शाला छोडनेवाले बच्चों का दर-शिक्षा विभाग, कर्नाटक

सारणी-3

साल	1 - 5 वी कक्षा	1 -7 वी कक्षा
2001-02	11.18	32.93
2000-01	17.52	37.2
99-2000	20.99	38.58
1998-99	29.85	39.16
1997-98	28.12	43.44
1996.97	28.51	46.81
1995-96	32.08	51.39
1994-95	32.83	49.05
1993-94	36.43	52.76
1992-93	37.74	48.71

मूल : सार्वजनिक शिक्षा कार्यालय, बेंगलोर

प्राथमिक शिक्षा सार्वत्रीकरण साधना की ओर

अपनी प्रजा को सुशिक्षित किये बिना कोई भी देश चश नही. पाया है। शिक्षा अभिवृद्धि धारणा तथा गरीबी को कम करने की चाबी है।

-जेम्स.डी.वुल्फेनसान
अध्यक्ष. विश्वबैंक

प्राथमिक शिक्षा के सार्वत्रीकरण साधना की ओर प्रमुख कदम के स्वरुप गरीब तथा अनुकूल रहित बच्चें गुणवत्ता पूर्ण प्राथमिक क्षिशा प्राप्त करने के अवसरों को विस्तृत करने विदेशी दाती संस्था की सहकारिता से भारत सरकार ने केन्द्र पुरस्कृत योजना 'जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम' का (डी.पी.ई.पी) प्रारंभ किया।

विश्व (जागतिक) और राष्ट्रीय अवधान की प्रतिक्रिया तथा देश की साक्षरता पर चिंतित होकर 1990 मे ही कार्यक्रम विकसित हुआ और 1994-95 मे प्रारंभ हुआ। जागतिक विवशताएँ जोंटैन मे शिक्षा पर संपन्न विश्व सम्मेलन में एकाकार हुआ। 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित और 1992 की क्रियायोजनाओं के आधार पर योजना का विकास किया गया। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के सहयोग को न केवल प्रतिनिधित्व करता है, वल्कि भारत का डी.पी.ई.पी. विश्व मे. ही विशालतम गात्र के दानियों से सहकारित कार्यक्रम है। कार्यक्रम का आर्थिक खर्चा जो 85.15 परिमाण में है उसे 85 भाग केन्द्र सरकार को तथा 15 भाग राज्य सरकार को भरना है, कम महिला साक्षरता और

संपूर्ण साक्षरता आन्दोलन में भाग लेने के आधार पर जिलाओं को चुना गया। कम महिला साक्षरता दर से डी.पी.ई.पी जिले लाक्षणिक तौर पर शिशु मरण और प्रसव के बाद माताओं की मृत्यु दर प्रतिकूल लिंग प्रमाण तथा अत्यंत कम, प्रति व्यक्ति के आय पर भी आधारित थे।

शाला हाजिरी अंदोलन, समुदाय जागृति आंदोलन, ग्रामीण शिक्षा समितियों को क्रियात्मक करना, क्षेत्रीय तथा क्लस्टर संपन्मूल केन्द्रों की स्थापना, सेवानिरत शिक्षकों का प्रशिक्षण, शाला भवन तथा कक्षाओं का निर्माण पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों का परिष्करण विकेन्द्रीकृत योजना और निर्वहण - ये अंश कार्यक्रम के छेडछाड थे। अपने प्रथम चरण में कार्यक्रम 1994 - 1995 में राज्य के बेलगाम, कोलार, मण्डया रायचूर और कोप्पल, इन पाँच जिले में अनुष्ठान में लाया गया और दूसरे चरण में 1997-98 से बेंगलोर ग्रामांतर, बल्लारी, बीदर, बिजापुर, बागलकोट, धारवाड, गदग, हावेरी, गुलबर्गा, मैसूर और चामराजनगर इन जिले में जारी किया गया।

2001-2002 में ही सर्वशिक्षा अभियान का अनुष्ठान योजित रहने पर भी, उस साल में उत्तम प्रारंभ के लिए आवश्यक पूर्वसिद्धता के बिना और कुछ भी हासिल नहीं किया गया।

उस साल के लिए वार्षिक क्रिया योजना तथा सिद्ध आय-व्यय योजना का अनुमोदन होने पर भी 2002-2003 में ही धन मुक्त किया गया। इससे अधिकमात्रा के धन को उस साल से अगले साल के लिए लेजाना पडा।

प्राथमिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य

राज्य में प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य (लक्ष्य) इस प्रकार है :

- सब बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के अवकाश निश्चित कराना
- सीख (शिक्षा) में बच्चों को भाग लेने को आगे बढ़ाकर उनको शाला में ही रखने का सफल कोशिश करना
- शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना

इन सभी उद्देश्यों के अंतर्गत विशेष अवश्यकता युक्त समाज की बालिकाओं तथा बच्चों पर भी ध्यान केंद्रीकृत करने का लक्ष्य भी है।

प्राथमिक शिक्षा का विकास

1995-96 से राज्य की प्राथमिक शिक्षा प्रगति परिणामकारी रहकर शाला की संख्या में 13% अनुमोदित शिक्षकों की नौकरियों में 21% और शाला दाखलाती में 55% बढ़ती रिकार्ड हुआ है।

साल	पंजीकरण (लाखोंमे)			महिलाओं का (%)
	बाल	बालिकाएँ	कुल	
1957-58	9.09	4.33	13.42	32.00%
1978-79	19.28	13.22	32.50	40.67%
1993-94	40.65	34.85	75.50	46.16%
2001-02	42.82	42.99	85.81	50.09%

प्राथमिक शाला सहूलियतें :

सार्वत्रीकरण की पृष्टभूमि में शाला सहूलियत एक अवश्यकता है। शाला सहूलियत के एक दृश्य को सारणी 4 में दिया गया है। कुल शाला सहूलियत सूच्यांक 93.70 हुआ है। सूक्तता के आधार पर सर्व शिक्षा अभियान को 100% शाला सहूलियत दर पहुँचने का उद्देश्य है। सर्वशिक्षा अभियान शाला सहूलियत सार्वत्रीकरण दिशामें शिक्षा ग्यारंटी केंद्र खोलने का निश्चय किया है।

सारणी-4

जिलों के मुताबिक प्राथमिक और माध्यामिक शालाओं का 2001-02 सालका सर्वेक्षण।

क्र. सं.	जिला	आवास प्रदेशों की संख्या	लोयर प्राइमरी शाला			हायर प्राइमरी शाला		
			1 कि.मी. दूरी के अंदर के शाला निवास प्रदेश	शाला सहूलियत	अंतर	3 कि.मी. दूरी के अंद शाला युक्त आवास प्रदेश	शाला सहूलियत दर	अंतर
1	बागलकोट	1188	1148	96.63	3.37	1140	95.96	4.04
2	बेंगलार उत्तर	3473	3230	95.99	4.01	3115	89.69	10.31
3	बेलगाँव	1619	1509	93.21	6.79	1407	86.91	13.09
4	बल्लारी	1012	1002	99.20	0.80	955	94.80	5.20
5	बीदर	736	575	78.12	21.88	507	75.89	24.11
6	बिजापुर	888	824	92.79	7.21	830	93.46	6.54
7	चामराजनगर	851	813	95.53	4.47	823	96.71	3.29
8	धारवाड	362	362	100.00	0.00	341	94.39	5.61
9	गदग	340	516	99.61	0.39	483	93.24	6.76
10	गुलबर्गा	1860	1746	93.87	6.13	1226	100.00	0.00
11	हावेरी	766	484	63.19	36.81	729	95.17	4.83
12	कोलार	3305	2606	97.00	3.00	1392	95.00	5.00
13	कोप्पल	716	703	98.18	1.82	560	78.21	21.79
14	मंण्या	2067	2059	99.61	0.39	2043	98.84	1.16
15	मैसूर	1919	1868	97.34	2.66	1166	60.76	39.24
16	रायचूर	1086	1374	100.00	0.00	479	93.00	7.00
17	बेंगलोर नगर	1422	1299	93.45	6.55	984	83.00	17.00
18	चिक्कमगलूर	3785	946	92.47	7.53	732	90.70	9.30
19	चित्रदुर्गा	1624	1593	98.09	1.91	1567	96.65	3.35
20	दक्षिण कन्नड	1963	1947	99.33	0.67	1963	100.00	0.00
21	दावणगेरे	1163	1149	98.80	1.20	1118	96.13	3.87
22	हासन	2369	2214	93.00	7.00	2134	90.18	9.82
23	कोडगु	791	658	82.80	17.20	712	89.63	10.37
24	शिमोगा	5176	5125	99.01	0.99	3009	58.13	41.87
25	तुमकूर	4362	3889	89.60	10.40	3813	87.50	12.50
26	उडुपी	1678	1650	98.33	1.67	1664	99.20	0.80
27	उत्तर कन्नड	5967	5058	84.77	15.23	4801	80.46	19.54
	कुल	**52488**	**46347**	**93.70**	**6.30**	**39693**	**89.39**	**10.61**

शाला सहूलियत या अनौपचारिक केन्द्र की देन सार्वत्रीकरण की दिशा में एक प्रमुख कदम है। फिर भी औपचारिक शालाओं में बच्चों का नामांकन नामांकन आंदोलन पर अवलंबित रहता है। सारणी -5 में. विविध जिलाओं के नामांकन दिये गये हैं। 6 साल के सभी बच्चों का नामांकन सार्वजनिकों की शिक्षा के बारे में जागृति का स्पष्ट निदर्शन है।

सारणी-5

जिला ओं के लोयर और हायर प्राथमिक शालाएँ और नामांकन 2001-2002

क्र सं	जिला	लोयर प्राइमरी शाला संख्या	हायर प्राथमिक शाला संख्या	कुल	नामांकन (दाखिल) 2001-02		
					बालक	बालिका	कुल
1	बागलकोट	560	710	1270	144326	137671	281997
2	बेंगलोर उत्तर	1769	1027	2796	152550	147377	299927
3	बेलगाँव	1596	1644	3240	358653	340506	699159
4	बल्लारी	797	802	1599	173019	164522	337541
5	बीदर	536	652	1188	156421	145326	301747
6	बिजापुर	864	938	1802	184312	173271	357583
7	चामराजनगर	442	426	868	63128	61327	124455
8	धारवाड	315	614	929	100757	96041	196798
9	गदग	262	440	702	81872	78242	160114
10	गुलबर्गा	1362	1226	2588	278608	257531	536139
11	हावेरी	486	727	1213	120505	113622	234127
12	कोलार	2606	1392	3998	213211	206980	420191
13	कोप्पळ	517	418	935	104823	99134	203957
14	मंण्डय	1033	1028	2061	137156	134653	271809
15	मैसूर	1104	1166	2270	208484	200978	409462
16	रायचूर	897	477	1374	165821	154662	320483
17	बेंगलोर नगर	1144	2147	3291	444796	415597	860393
18	चिक्कमगलूर	951	724	1675	89426	87323	176749
19	चित्रदुर्ग	919	896	1815	124848	118198	243046
20	दक्षिण कन्नड	397	904	1301	144068	145202	289270
21	दावणगेरे	780	892	1672	148919	141771	290690
22	हासन	1662	1186	2848	134805	133899	268704
23	कोडगु	201	270	471	38507	38319	76826
24	शिमोगा	1150	1006	2156	132384	130136	262520
25	तुमकूर	2259	1534	3793	210402	203108	413510
26	उडुपी	320	581	901	85759	92762	178521
27	उत्तर कन्नड	1219	973	2192	107832	101897	209729
	कुल	26148	24800	50948	4305392	4120055	8425447

शाला से बाहर रहे बच्चों को शाला की मुख्य वाहिनी में लाना 'नामांकन सुधार' के लिए यानी शाला से बाहर रहे बच्चों को शाला व्यवस्था में लाने "चिण्णर अंगल" नामक सेतुबन्ध क्रार्यक्रम प्रारंभ किया गया निवास सहित और रहित गर्मियों के शाला क्रम में नामांकन नहीं किये गये तथा बीच में ही शाला से छुटे हुए बच्चों को भर्ती किया गया। सारणी 6 में नामांकन नहीं किये गये तथा शालासे छुटे बच्चों की संख्या जिला प्रति दी गई है। इसके अलावा 2001 की गर्मियों मे "शालापूर्व-सिद्धता" कार्यक्रम से शाला व्यवस्था में लाये गये बच्चों की संख्या दी गई है। कार्यक्रम से हुई साधना बडी है। फिर भी शाला व्यवस्था में उन बच्चों को बहलाकर उनमें "अच्छी तरह सीखूँगा"- इस आत्मविश्वास को आकर्षक कक्षा कार्यकलापों द्वारा लाने की गुरुतर जिम्मेदारी शिक्षकों की है।

2001-02 के कौटंबिक समीक्षानुसार शाला के बाहर- छुटे और "चिण्णर अंगळ-नन्हें मुन्नें का आंगन- द्वारा मुख्यावाहिनी में लायी गयी बच्चों की संख्या"

सारणी-6

क्रम संख्या	जिला	(6-14) नामांकन न किये गये बच्चे			शाल से छुटे बच्चे (6-14)			कुल 2001-02			मुख्यवाहिनी को लाये गय बच्चो की संख्या		
		बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
1	बेंगलोर दक्षिण	1052	1025	2077	714	588	1302	4539	4237	8776	957	1016	1973
2	बेंगलोर उत्तर	602	561	1163	821	625	1446	577	534	1111	655	876	1531
3	बेंगलोर ग्रामांतर	1867	1637	3504	225	235	460	7058	6929	13987	436	409	845
4	कोलार	1202	1208	2410	431	568	999	20702	22633	43335	1131	1235	2366
6	तुमकूर	1584	1567	3151	217	168	385	23363	22799	46162	1032	999	2031
8	शिमोगा	2274	2125	4399	503	423	926	7054	6813	13867	916	847	1763
9	चित्रदुर्ग	2090	2041	4131	578	600	1178	15110	15435	30545	860	1043	1903
10	दावणगेरे	3175	2911	6086	584	622	1206	16782	16912	33694	1075	1332	2407
	विभाग-कुल	**13846**	**13075**	**26921**	**4073**	**3829**	**7902**	**95185**	**96292**	**191477**	**7062**	**7757**	**14819**
11	मैसूर	1675	1459	3134	659	618	1277	19946	20741	40687	1315	1387	2702
12	चामराजनगर	1140	1081	2221	682	606	1288	9381	9306	18687	671	676	1347
13	मण्डय	474	437	911	375	209	584	10370	10012	20382	476	498	974
14	हासन	518	476	994	188	161	349	4202	3813	8015	598	579	1177

क्रम संख्या	जिला	(6-14) नामांकन न किये गये बच्चे			शाल से छूट बच्चे (6-14)			कुल 2001-02			मुख्यधारा को लाये गये बच्चों की संख्या		
		बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
15	चिक्कमगलूर	1155	995	2150	294	358	652	8606	8720	17326	411	377	788
16	कोडगु	211	173	384	48	46	94	2593	2492	5085	367	335	702
17	दक्षिण कन्नड	2190	1868	4058	67	88	155	4049	3826	7875	140	106	246
18	उडुपी	685	593	1278	20	18	38	1680	1320	3000	87	58	145
	विभाग-कुल	**8048**	**7082**	**15130**	**2333**	**2104**	**4437**	**60827**	**60230**	**121057**	**4065**	**4016**	**8081**
19	बेलगाँव	10741	9799	20540	144	172	316	64132	65257	129389	2537	2779	5316
21	बिजापुर	11565	10417	21982	1357	1596	2953	34125	34741	68866	2455	2579	5034
22	बागलकोट	8001	7576	15577	695	828	1523	32621	34293	66914	1890	2093	3983
23	धारवाड	4865	4502	9367	405	288	693	12143	12073	24216	609	708	1317
24	गदग	3059	2920	5979	485	515	1000	11664	12364	24028	858	1047	1905
25	हावेरी	7139	6637	13776	461	355	816	20925	19542	40467	1271	1174	2445
26	उत्तर कन्नड	4905	4484	9389	414	431	845	14686	14446	29132	871	870	1741
	विभाग-कुल	**50275**	**46335**	**96610**	**3961**	**4185**	**8146**	**190296**	**192716**	**382012**	**10491**	**11250**	**21741**
27	गुलबर्गा	7477	7211	14688	3386	3854	7240	65928	68857	134785	6717	8111	14828
29	बेल्लारी	9758	9754	19512	791	897	1688	18678	19852	38530	2466	2757	5223
30	रायचूर	4608	4426	9034	518	659	1177	24775	29719	54494	3775	5192	8967
31	कोप्पळ	6493	6593	13086	951	1083	2034	25001	26943	51944	2220	2764	4984
32	बीदर	1731	1733	3464	814	778	1592	22334	23386	45720	1925	2040	3965
	कुल विभाग	**30067**	**29717**	**59784**	**6460**	**7271**	**13731**	**156716**	**168757**	**325473**	**17103**	**20864**	**37967**
	राज्य - कुल	**102236**	**96209**	**198445**	**16827**	**17389**	**34216**	**503024**	**517995**	**1021019**	**38721**	**43887**	**82608**

अध्याय - 2

सर्वशिक्षा अभियान (एस-एस-ए) प्राथमिक शिक्षा सार्वत्रीकरण की ओर एक कदम

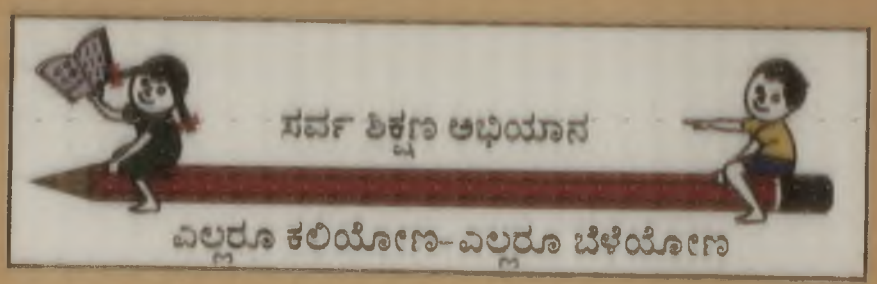

प्राथमिक शिक्षा की ओर और एक कदम

सर्वशिक्षा अभियान - सब की शिक्षा के लिए आंदोलन प्राथमिक शिक्षा सार्वत्रीकरण तथा शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने का लक्ष्य रखकर उसे साध्य करने निम्नोक्त मार्गो को अनुसरण करने का उद्देश्य रखा है ।

- जिला आधार
- विकेंद्रीकृत
- संदर्भ के अनुसार योजना तथा समुदाय का भाग लेना

उद्देश्य

- 2003 तक सभी बच्चों को शालाओं में निर्दिष्ट शिक्षा केन्द्रों में पर्याय शालाओं में ''पुनः, शाला लौटकर'' शिबिरों में सिखाने की व्यवस्था करना।
- 2007 तक सभी बच्चे 5 वर्षो की प्राथमिक शाला शिक्षा पूर्ण होने की व्यवस्था करना।
- संतोषदायक गुणवत्ता पूर्ण प्राथमिक शिक्षा विशेषकर ''जीवन के लिए शिक्षा'' पर केन्द्रीकृत करना ।
- प्रधानतया 2007 तक सभी लिंग और सामाजिक प्रवर्गों के अन्तर को पाटना (सेतुबन्ध करना) और 2010 तक प्राथमिक स्तर पर और
- 2010 से सार्वत्रिक ठहराव (Universal retention) - बनाये रखना।

* स.शि.अ (एस.एस.ए) द्वारा आवृत करने सोचे गये जिले -

* सभी जिले जो डी.पी.ई.पी. में नहीं है। जिनमें 1991 की जनगणनानुसार परिशिष्ट जाति और परिशिष्ट वर्ग की स्त्री साक्षरता दर (10% से कम)कम रहनेवाले और,

* डी.पी.ई.पी. प्रथम चरण के जिले प्राथमिक शिक्षा केन्द्र पुरस्कृत योजनाओं के साथ प्राथमिक शिक्षा में उच्च प्राथमिक कक्षाओं तक भी विस्तृत करने के सार्थक कार्य किये गये थे (डी.पी.ई.पी. हस्तक्षेप के उदग्र विस्तार) सुविधाको माध्यामिक शाला ओं को भी विस्तृत करना।

कर्नाटक राज्य में प/जा और प/व की स्त्री साक्षरता दर 10% से भी कम रहनेवाले केवल दो जिले थे; ये दोनों डी.पी.ई.पी. के अंतर्गत आ गये थे। रायचूर जिला परिशिष्ट जाति की स्त्री साक्षरता 10.61% और परिशिष्ट वर्ग की स्त्री साक्षरता दर 6.7% था और वह डी.पी.ई.पी के प्रथम चरण में अनुष्ठान में लाया गया था और उसे सर्व शिक्षा अभियान की व्याप्ति के अन्दर लाने के नैदानिक अध्ययन किये गये। उसी तरह डी.पी.ई.पी. प्रथम

चरण के बाकी सभी जिले को भी डी.पी.ई.पी. के हस्तक्षेप (छेडछाड) को उच्च प्राथमिक शालाओं तक विस्तृत करके सर्व शिक्षा अभियान की छत्र छाया में लाया गया।

:: 9 वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक (2002 के अंत तक) देश के सभी जिले को स.शि.अ. के अंदर लाना था, जो जिले डी.पी.ई.पी. के अंतर्गत नहीं थे उनको स.शि.अ. के अन्दर लाया गया जो निम्न प्रकार है :-

क्रम संख्या	जिला	1991 जनगणनानुसार स्त्री साक्षरता		औसत
		प/जा	प/च	
1	चित्रदुर्ग	23.35	24.73	24.04
2	दावणगेरे	23.35	24.73	24.04
3	हासन	23.47	27.37	25.42
4	चिक्कमगलूर	24.60	30.08	27.34
5	तुमकूर	24.56	30.47	27.52
6	शिमोगा	24.99	30.87	27.93
7	कोडगु	35.96	21.48	26.72
8	उत्तर कन्नड	36.66	23.76	31.21
9	बेंगलोर नगर	46.84	51.53	49.19
10	दक्षिण कन्नड	47.19	51.40	49.29
11	उडुपि	47.19	51.40	49.29

❊ **आरंभ करने आवश्यक पूर्वसिद्धता के कार्यकलाप :**

निम्नोक्त पूर्व सिद्धता के कार्यकलाप इन जिलाओं में आरंभ करने की योजना की गई-

- ➤ जिला और तालूक स्तर के दलो की रचना
- ➤ महिला समूहों की रचना
- ➤ नैदानिक अध्ययन
  - धर से घर समीक्षा
  - संस्थाओं की समीक्षा
  - कोहार्ट अध्ययन (सहकर्मी अध्ययन)
  - बच्चों की सीख साधना स्तर को जानना
  - शिक्षकों के शैक्षणिक और वृत्तिपरक सामर्थ्यो के मूल्य जानना
  - बोधन व सीख और कक्षा संव्यवहारों का (लेन-देनों का) अवलोकन
- ➤ गतिशील कार्यकलाप (जागृति कार्यकलाप) - समुदाय में एक उत्प्रेरित माँग की आवश्यकता है।

समुदाय को वह चाहिए, लेकिन हमने जो चाहा उस चाह के लिए समुदाय को चाहना नहीं चाहिए।

अध्याय - 3

प्रक्रिया

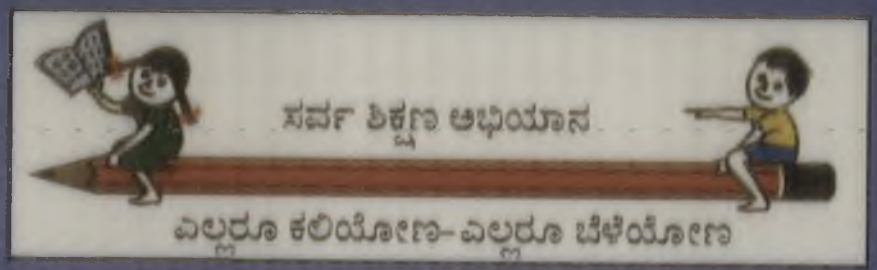

कार्यक्रम को उदग्रविस्तार के रुप में आगे बढ़ाने के लिए तथा विधि विधानों की चर्चा करने के लिए दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर का कार्यगार व्यवस्थित किया गया। डी.पी.ई.पी, के एक जिले में ''नैदानिक अध्ययन'' करने का निर्धार लिया गया। अतः इस उद्देश्य के लिए रायचूर जिले को चुना गया ।

रायचूर क्यों ?

- रायचूर में 1 से 7 वीं की कक्षाओं में शाला छोडदेनेवालों का 59.62 का उच्च दर था बालिकाओं में 72-70 के जैसे और भी उच्च था ।
- रायचूर में सामान्यतया 71.08 का बहुत कम G.E.R. रहा और बालिकाओं की 59.50 जैसे कम रहा जब कि N.E.R. कुल 56.23 और बालिकाओं में 45.57 रहा ।

2. रायचूर में शाला से बाहर रहे बच्चों की संख्या 43.80% साथ में बालिकाओं का 54.40% रहा ।

3. 1991 की जनगणनानुसार रायचूर में 86000, 6 से 14 तक के बच्चे थे जो कार्मिकों के रूप में काम कर रहे थे।

4. सीख की साधना में बेसलाइन और सत्रमध्य परीक्षा मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार महत्व की प्रगति रहने पर भी उच्च और निम्न प्राथमिक शालाओं के आधिकतर बच्चों में कम साधना स्तर ही आगे बढ़ता रहा। निम्न दर्जे की सीख के साथ-2 शाला छूट का दर भी मिलकर सीख को बचाए बिना अनक्षरता की ओर जाने का संभव ही अधिक है ।

5. लिंग भेद और जाति पद्धतियों के प्रधान पात्र के कारण गाँवों के समाज में बालिकाओं तथा प/जा और प/व के बच्चों को शिक्षा पद्धति में समान भाग लेने बाधा डालते हैं।

6. समुदाय के भाग लेने की क्रिया और जागृति अब भी कम ही है। (रायचूर में)। यद्यपि ग्राम शिक्षा समितियाँ क्रियाशील हैं तथापि अन्दाज के अनुसार जीवंत स्वावलंबी संस्था के रुप में विकासित नहीं हैं ।

7. डी.पी.ई.पी. द्वारा नयी योजना शैली में कार्य निर्वहण विधान करने रहने पर भी सभी व्यवस्थात्मक रचनाएँ नौकरशाही खैया के जैसे ही आगे बढ़ते रहे हैं और बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील नहीं हैं ।

नये लक्ष्यों का निश्चय करना : प्राथमिक शिक्षा का सार्वत्रीकरण :

उपरोक्त पूर्व पीठिका के उपलक्ष्य में प्राथमिक शिक्षा सार्वत्रीकरण के लक्ष्या निम्न प्रकार हैं।

- 1 से 7 वीं कक्षा तक लिंग भेद और सामाजिक प्रवर्गों के बीच के अंतर भर्ती, (दाखिला) शाला छूटने और सीख - साधना के अंतरों को 10% से भी कम करना।
- सभी विद्यार्थियों को लेकर शाला छोड देनेवाले बच्चों के प्रमाण को 20% से भी कम करना ।
- ज्ञानवलय और ज्ञानेतर वलयों में कम से कम 80% बच्चे पूर्व निश्चित सीख के स्तर पहुँचने का ध्यान रखना।

1980-81 के 35 से 1996-97 के 59.5 तक शाला में भर्ती करने का दर (G.E.R) बढ़े रहने पर भी, रायचूर जिले की बालिकाओं की भर्ती होने की संख्या संतोषकारक नहीं रहा। प्राथमिक शालाओं की संख्या का बढ़ना और भर्ती होने का तीव्र दर, भी पूर्ण चित्र नहीं देते। 6 से 14 तक की आयु के बालक बालिकाएँ शाला में शिक्षा प्राप्त करने रहने पर भी, चिंताजनक संख्या में बालक - बालिकाएँ शाला से बाहर रह गये हैं। उस आयु के 38 लाख बच्चे यानी 48% शाला से बाहर रह गये हैं। रायचूर में शाला से बाहर रहनेवाले बच्चों की संख्या 48% है तो शाला से बाहर रहनेवाली बालिकाओं का प्रतिशत 65% है। इसीलिए रायचूर जिला को प्रयोगात्मक रुप से डी.पी.ई.पी के उदग्र विस्तार (ऊर्ध्वमुख विस्तार) के लिए चुना गया है।

जिला के कुछ तालूकों में निम्नोक्त विषयों में नैदानिक अध्ययन किया गया।

- घर घर की समीक्षा
- संस्था की अनुकूलताएँ
- चौथी कक्षा के बच्चों की सीख के स्तर
- शिक्षकों के सामर्थ्य
- कक्षा की पढ़ाई-सिखाई प्रक्रियाएँ

राष्ट्रीय स्तर के कार्यागार के अध्ययन में सिद्ध किये गये नमूनों को जिला की सूक्तता के अनुगुण परिष्करण किया गया।

अध्ययन के उद्देश्य :

- जिला की संपूर्ण जनसंख्या के अनुगुण 6-12 आयु के बच्चों का अनुपात

- शाला से बाहर रहनेवाले बच्चों का अनुपात यानी शाला छोडे हुए बच्चों की संख्या और भर्ती नहीं हुए बच्चों की संख्या विशेषकर लिंग भेद तथा सामाजिक सहूलियतों से वंचित समूह की गणना करके।
- अत्यंत अधिक संख्या में शाला छोडनेवाले बच्चों के सामाजिक प्रवर्ग जानने के लिए साक्षरता और उद्योगों के आधार पर कुटुंबों (परिवार) की समीक्षा ।
- आयु के अनुसार शाला छोडकर जानेवाले और शाला में भर्ती न होनेवालों का कारण ।
- अयु तथा कक्षानुसार शाला से छुटनेवालों का अनुपात ।
- 6-12 वयोमान की विकलांग बच्चों का संख्या संग्रहण करना ।

अध्ययन से प्राप्त जानकारी :

- शाला छोडनेवालों का अनुपात (23.54) शाला में न भर्ती न होनेवालों के से तुलना करने पर अत्यंत उच्च (64.54) है।
- शाला में न भर्ती किये गये 83% बच्चे शाला में न भर्ती किये गये कुटुंब के हैं। और शाला छोडनेवालों की संख्या 67.53
- V कक्षा में पढ़ाने के शिक्षकों (कई निम्न और उच्च दोनों कक्षाओं में पढ़ाते हैं) की उपलब्धि 50% से कम है।
- शिक्षकों के उत्तरों का गुणात्मक विश्लेषण बताता है कि जिला के पाँचों विभागों के शिक्षकों में विषयज्ञान बहुत कम है।
- शिक्षकों को मूल परिकल्पना नहीं मालूम है। कुछ विषयों में तो कई तो 20% से भी कम अंक प्राप्त करके दयनीय रुप से अनुत्तीर्ण हुए हैं।
- कक्षा में पढ़ाने का अवलोकन बताता है कि कक्षा की भौतिक स्थिति सभी - पाँचों तालूकों में उत्तम है। पर शिक्षकों से प्रदान किये गये सीख के अनुभव केवल औसत दर्जे के हैं।
- विद्यार्थियों की उपलब्धि से निष्कर्ष कर सकते हैं कि डी.पी.ई.पी कार्यक्रम का जिला के बच्चों पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पडा हैं।
- 1 से 4 तक की निम्न कक्षाओं के बच्चों को सीख (सिखाई) के उत्तम अनुभवों को देने की आवश्यकता है। उच्च प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों को शाला के सभी विषयों में विषयवस्तु के संपदीकरण की नितांत आवश्यकता है।

अब चौथी कक्षा से पाँचवीं कक्षा में बच्चों के प्रवेश की बात को दृष्टि में रखकर प्राथमिक शिक्षा के सार्वत्रीकरण की योजना करना प्रस्तुत आवश्यकता है। इसी तरह कर्नाटक में VII कक्षा जो प्राथमिक शिक्षा की ऊँची कक्षा है। उसके साथ VIII कक्षा को मिलाने अवसर प्राप्त करने VII कक्षा की उत्तीर्णता दर का परिकलन (हिसाब) किया गया है।

मूलरेखा मूल्याकंन अध्ययन :

प्रस्तुत, प्राथमिक शैक्षणिक स्तर और बच्चे को 5 वर्षों तक शाला में पढ़ाई के लिए रखने और बच्चे की शिक्षा साधना में उसके परिणाम जानने और आवश्यक शैक्षणिक निविष्टि के समग्र दृश्य प्राप्त करने की दृष्टि से अध्ययन किया गया। इस योजना के लिए 1, 3 और छठी कक्षा के बच्चों की साधना को ध्यान में रखा गया राज्य स्तर अध्ययन के अलावा हर एक जिला में पूर्वभावी कार्यकलापों के एक अंक के रुप में मूलरेखा मूल्यांकन अध्ययन करने सर्वशिक्षा अभियान ने अवकाश दिया है। स्थलीय संदर्भो को ध्यान में रखते हुए आशा की गई है कि योजना प्रक्रिया को अनुकूल अवसर देने के जैसे ये अध्ययन नैदानिक स्वभाव के हों ।

अध्ययन नमूने के लिए तेरह डी.पी.ई.पी से अन्य जिले को चुना गया। डी.पी.ई.पी. की मार्गसूची के अनुसार सर्वशिक्षा अभियान नमूनों का अयोग लिया है। हर एक जिला में विषय से विषय तक नमूने अलग - अलग संख्या में है।

इन जिले में बच्चों की शिक्षा स्तर में स्थित अंतर की नैदानिक समीक्षा अनेक उद्देयों में एक है। इसे ध्यान में रखकर समीक्षा और विश्लेषण किया गया है। तथा परिणाम दिया गया है। कर्नाटक शिक्षा विभाग ने सरकारी शाला शिक्षकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यवस्था के लिए आगे बढ़ा है।

निम्नोक्त सारणी नमूने के एक पक्षि अवलोकन दृश्य देता है।

जिला	भाषा परीक्षा के बच्चोंकी संख्या			गणित के छातों की संख्या		
	पहली कक्षा	तृतीय कक्षा	छठी कक्षा	पहली कक्षा	तृतीय कक्षा	छठी कक्षा
01	800	1036	735	807	1036	736
02	812	1070	723	792	1093	646
03	647	713	354	647	720	350
04	794	1009	532	793	970	510
05	718	882	527	715	882	521
06	505	663	347	513	660	347
07	702	864	442	700	808	647

08	592	731	510	706	709	520
09	726	862	612	721	864	607
10	823	1092	694	798	1080	691
11	506	715	470	596	720	389
12	608	727	550	614	727	534
13	781	1009	700	777	1011	697
कुल	**9014**	**11373**	**7196**	**9179**	**11280**	**7195**

सारणी से स्पष्ट होता है कि दोनों विषयों की परीक्षा लेनेवाले बच्चों की संख्या समान नहीं है।

विश्लेषण विशेषतया उपलब्धि-परीक्षा में बच्चों के कार्य पर ही आधारित है। इसके साथ साथ शाला की रुपरेखा शिक्षकों के तथा बच्चों के चरित्र भी (विवरण) ध्यान में रखा गया है। फिर भी भाषाओं तथा गणित-उपलब्धि को भी केन्द्रीकृत किया गया है। अन्य विषय विज्ञान और समाज अध्ययन का VI कक्षा में ही ध्यान में लिया गया है।

अध्ययन से प्राप्त जानकारी के सामान्य अंश :

1. सभी जिले में पहली कक्षा के विद्यार्थियों की उपलब्धि अन्य दो कक्षाओं की अपेक्षा सापेक्षतया उत्तम रहने का पता लगा है। अधिकतम जिले में दोनों विषयों में विद्यार्थियों की उपलब्धि (भाषा और गणित में) 70% के लग भग है।
2. तीनों कक्षाओं में से तीसरी कक्षा की उपलब्धि अत्यंत कम है।
3. भाषा की अपेक्षा गणित विषय में रुझान बहुत कम दिखता है। दोनों विषयों में उपलब्धि समान or 50% से कम है।
4. छठी कक्षा की औसत उपलब्धि केवल विज्ञान समाज अध्ययन में उत्तम है। कन्नड, अंग्रेजी और गणित ने विषय कठिनता प्रस्तुत की है।
5. लिंग, क्षेत्र और वर्गों का अंतर नगण्य हैं। अल्प अंतर भी महत्व के नहीं है। उपलब्धि के अंतर लिंग /क्षेत्र और वर्गों में कम मात्रा के हैं। यह बताता है कि अंतर कम मात्रा के हैं।

6.

जिला	कन्नड			गणित			अंग्रेज़ी			विज्ञान			समाजविज्ञान		
	I	III	VI	I	III	VI	I	III	VI	I	III	VI	I	III	VI
बेंगलोर (उ)	75.84	52.89	54.37	76.19	48.93	47.97			54.84			65.79			50.44
बेंगलोर (द)	56.95	43.96	51.07	60.63	38.39	39.39			49.64			57.15			55.60
चिक्क मंगलूर	72.36	34 09	55.13	73.33	47.56	48.64			50.36			69 23			58.38
चित्रदुर्गा	57.30	28 85	42.18	64.51	20.82	37.03			39.29			50 78			44.56
दावणगेरे	72.68	39 10	47.72	69.96	32.18	36.00			39.93			51.77			44.31
हासन	72.78	38 19	50.07	70.94	31.61	36.07			37.80			55.19			49.07
कोडगु	71.44	47.96	53.48	75.06	50.34	43.45			49.26			58.14			49.62
उत्तर कन्नड	81.81	50 32	56.69	67.83	43.60	47.15			46.42			65.30			65.11
मंगळूर	76.60	44 20	50 60	71.95	39.65	43.73			46.27			61.17			51.07
शिमोगा	70.52	42.81	45.69	62.06	33.12	40.86			41.51			61.40			49.38
तुमकूर	61.10	43.13	52.46	60.41	32.81	40.33			42.01			60.92			51.48
उडुपि	76.92	56 67	52.04	84.48	52.91	48.62			52.71			66.99			52.03
औसत	69.80	43.48	51.07	69 06	38.82	42.27			45.54			60.36			51.73

7. प/जा और प/व के बच्चे अधिकतम जिले में सामान्य तथा उत्तम उपलब्धि प्राप्त की है और बालिकाएँ भी उत्तम साधना दर्शाती हैं। उत्तर कन्नड, तुमकूर, मंगळूर जिलाओं में गणित में उपलब्धि उत्तम रहने की बात स्पष्ट रहा है।

8. अधिकतम जिले में दोनों विषयों में ग्रामीण बच्चों ने नगर के बच्चों की अपेक्षा अच्छा किया है।

9. सभी जिले में विद्यार्थी शाला में क्रम से उपस्थित रहे हैं। विद्यार्थियों की उपस्थिति 70% से भी ऊपर है।

10. पाठ्य पुस्तक, अभ्यास पुस्तक और अन्य सीख की सामग्रियाँ लभ्य है। 100% बच्चों के पास न रहने पर भी उनमें 60% बच्चों को ये सहूलियतें प्राप्त हैं।

11. अनुमोदित ओहदों को भर्ती नहीं करने पर भी बहुतेक जिले में काफी संख्या में शिक्षक हैं। उत्तम विद्यार्हता युक्त प्राशिक्षित भी हैं।

12. अध्यापकों की अपेक्षा, अधिक संख्या की अध्यापिकाओं से युक्त कुमटा उत्तर कन्नड, उडुपि, बेंगलोर उत्तर और मंगळूर जिले में सीख-साधना बाकी जिले की उपेक्षा उत्तम रहकर कुतूहलकारक है।

13. नगर प्रदेश के बच्चों से ज्यादा ग्रामांतर प्रदेश के बच्चे अधिक शैक्षणिक सहायता प्राप्त हैं। यह शैक्षणिक सहायता उन बच्चों के बडे-भाइयों से प्राप्त होता है।

14. बच्चों के साधना स्तर पर माता-पिताओं की विद्यार्हता या उद्योग का किसी प्रकार का प्रभाव नहीं है।

15. बोधन माध्यम जो है वह मातृभाषा में हो तो अच्छा है । अन्यथा इस का कोई प्रभाव अध्ययन पर नहीं होगा।

16. कारवार, उडुपि, कोडगु और मंगळूर, बेंगलोर उत्तर (बाह्य हस्तक्षेपों के संबल के बिना ही) स्थिर उपलब्धि दर्शानेवाले जिले हैं। कम उपलब्धि के जिले चित्रदुर्गा, बेंगलोर दक्षिण है। तो मध्यम वर्ग के जिले हैं तुमकूर और अन्य जिले ।

रायचूर जिला में हुए नैदानिक अध्ययन और 13 डी.पी.ई.पी. से इतर (अन्य) जिले द्वारा हुए बेसलैन मूल्यांकन अध्ययनों के आधार पर निम्नोक्त योजना चित्रण की सलाह दी गई हैं।

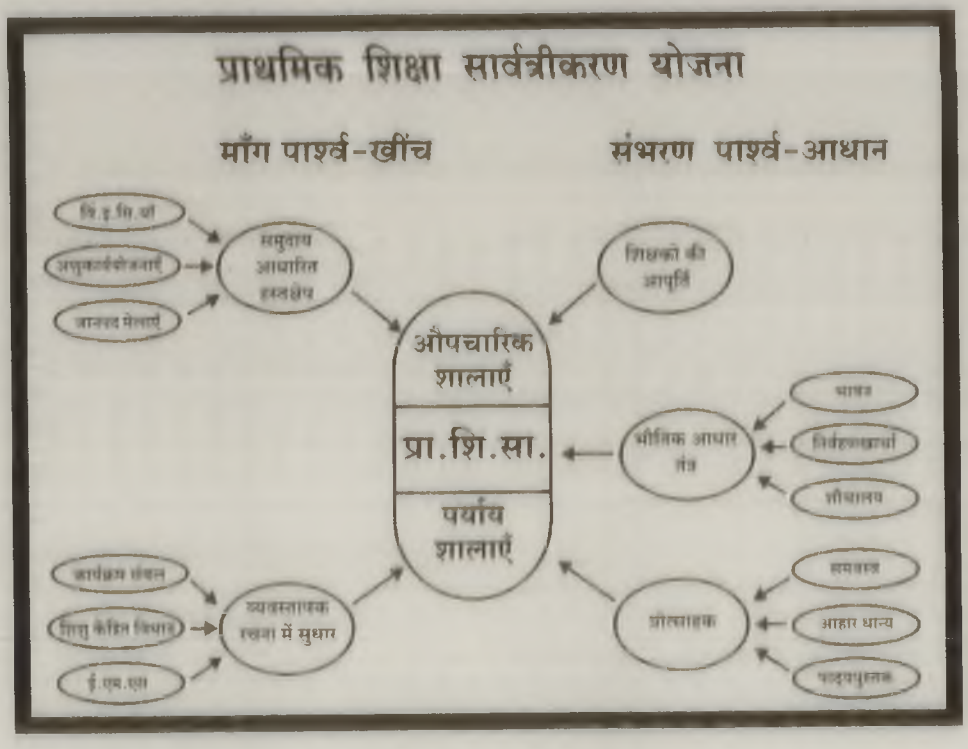

अध्याय-4

जिला प्राथमिक शैक्षणिक योजनाओं को (डी.ई.ई.पी) सिद्धकरने-भाग लेने के (सम्मिलन) विधान की योजना पद्धति

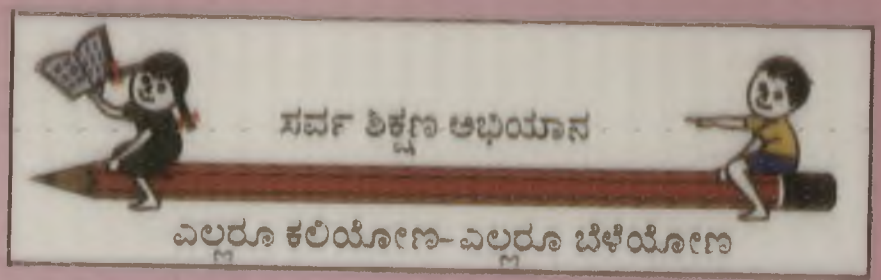

पूर्वसिद्धता के कार्यकलाप :

सर्व शिक्षा अभियान ने कार्यक्रम के गुणात्मक अनुष्ठान के लिए

पूर्वसिद्धता कार्यकलापों को अत्यंत महत्व दिया है। समुदाय के व्यवस्थित चलनशीलता और परिणामकारी विकेन्द्रीकृत निर्धार लेने की व्यवस्थाओं की सृष्टि ही पूर्वसिद्धता कार्यकलापों का एक अंग था।

पूर्वसिद्धता कार्यकलापों से स्थलीय स्तर पर सांस्थिक विकास और प्राथमिक शिक्षा वलय के वृत्तिपर निर्वहणशक्ति के सामर्थ्य विकास के सूत्रपात की आशा की गई थी। प्रशिक्षण द्वारा सामर्थ्यों का निर्माण, तीव्रतर योजना प्रक्रियाएँ समुदाय आधारित सामग्री संग्रह और विश्लेषणों पर तीव्र ध्यान केन्द्रीकरने के अलावा स्थलीय समुदाय को शाला व्यवस्था (निर्वहण) करने का अवकाश देने की इच्छाशक्ति उत्पन्न करना।

समुदाय आधारित योजना प्रक्रिया :

सर्वशिक्षा अभियान की प्रगति समुदाय आधारित योजना प्रक्रिया की गुणवत्ता पर अवलंबित है। समुदाय द्वारा योजना हो सकने के विश्वास के अलावा, समुदाय को वैसा करने सामर्थ्याभिवृद्धि की तीव्रतर अवश्यकता को सर्वशिक्षा अभियान ने माना है। प्रस्तावित योजना की अवश्यकताओं को पहचानने में अनेक प्रदेशों के सामुदायिक वैविध्यताएँ कभी-कभी समस्या ओं को उत्पन्न करते हैं। इसलिए उच्च स्तर के सामुदायिक एकात्मकता युक्त आवास को गाँव के बदले योजना के एक घटक माना गया। इसी तरह नगर प्रदेश में मलिन बस्ती के घरों के एक समूह को योजना के घटक के रुप में माना गया है। योजनादलकी सृष्टि योजना का प्रारंभिक बिन्दु है।

कार्यागार-प्रशिक्षण कार्यक्रम :

जिला के योजना दलों को जिला प्रारंभिक शिक्षा योजनाओं को सिद्ध करने समर्थ बनाने राज्य स्तर में अनेक कार्यागारों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्थां की गई। इनमें मुख्य हैं। : नयी दिल्ली की राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना और प्रशासन के सहयोग में बेंगलोर के **NIPPCD** में व्यवस्थित कार्यागार है। इस कार्यागार ने न केवल योजना प्रक्रिया को **DEEPS** अंतर्व्यवहार ढ़ंग से विकास करने का अवसर ही नहीं दिया बल्कि अनुस्मरण करने क्विज़ स्पर्धा (पूछताछ स्पर्धा) की आयोजना भी की, नयी दिल्ली की मानव संपन्मूल अभिवृद्धि सचिवालय से नियुक्त मूल्यांकन दल ने सितंबर 2001 में राज्य को भेंट दी और राज्य तथा जिला दलों से ही नहीं बल्कि जनसाधारण शेयर होल्डर्स से भी अंतर्व्यवहार

किया। इनके साथ - साथ शैशवावस्था की निगरानी, शिक्षा **(Early Childhood Care and Education (ECCE)** कंप्यूटर सहायक शिक्षाकार्यक्रम **(Computer Assisted Learning Programme-CALP)** के अनुष्ठान संबंधी कार्यागार को चलाने के अलावा शाला भवन निर्माण योजना, अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, संपन्मूल केन्द्र समूह और विभागीय संपन्मूल केन्द्र निर्माण योजना विन्यास तैयार करने के कार्यागारों की आयोजना भी की गई। तार सील इन्डिया कनसलटेंट्रस .... लिमिटेने ने इन भवन निर्माण रचना की जिम्मेदारी ली है।

सर्वशिक्षा अभियान हस्तक्षेप के मानदण्ड

हस्तक्षेप	मानदण्ड (मानक, प्रतिमान)
1. शिक्षक	• हर 40 बच्चों के लिए प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए एक शिक्षक • कम से कम दो शिक्षक-प्राथमिक शाला म • उच्च प्राथमिक शाला के हर कक्षा में एक शिक्षक
2. शाला /पर्याय शाला व्यवस्था	• हर आवासी क्षेत्र के 1 कि.मी. के अन्दर राज्य नीति के अनुसार नयी शाला खोलने का अवसर देना या जिन आवासों में शालाएँ नहीं हैं वहाँ ई.जी. एस. शालाओं को प्रारंभ करना
3. उच्च प्राथमिक शालाएँ/वलय	• प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करनेवाले बच्चों की संख्या के आधार पर, हर दो प्राथमिक शालाओं या विभागों के लिए एक उच्च प्राथमिक शाला।
4. कक्षाएँ	• एक शिक्षक को एक वर्ग के नियमानुसार या प्राथमिक और माध्यमिक विभाग को एक एक वर्ग के लिए एक एक जैसे होना चाहिए। प्रति वर्ग का प्रवेश के लिए प्रत्येक वराण्डा या प्रवेश मार्ग होना जरूरी हैं। प्रत्येक प्राथमिक शाला को कनिष्टतम दो वर्ग होना जरूरी हैं। • माध्यमिक शाला विभाग में प्रधानाध्यापक के लिए प्रत्येक कक्ष होना चाहिए।
5 निःशुल्क पाठ्यपुस्तक	• एक बच्चे को रु 150 सीमांतर्गत मूल्य में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के सभी बालिकाओं (प/जा प/वर्ग के) को राज्य, और अपनी राज्य योजनाओं द्वारा प्रस्तुत धनसहायता से निःशुल्क पाठ्यपुस्तक देना आगे बढ़ाना • राज्य सरकार से इसकेलिए निधि और कालानुसार मुद्रित पुस्तकों का वितरण करना चाहिए।

	• राज्य सर्कार प्राथमिक शिक्षा के लिए निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण के लिए पहले से ही छूट दे रहे हैं। ऐसे संदर्भो में, बच्चों से संभरण किया जानेवाला धन सर्वशिक्षा अभियान भरेगा
6 निर्माण कार्य	• 2010की अवधि के लिए तैयार किये गये दूरदृष्टि योजना के आधार पर पी.ए.बी. **(P.A.B.)** से अनुमोदित योजना कुल खर्चे के 33% की सीमा को पार न करे। • 33% की यह सीमा भवनों का निर्वहण तथा मरम्मत खर्चा युक्त नहीं है। • फिर भी अब से पहले ही निश्चित की गई कुल खर्चे के 33% की सीमा को वार्षिक योजना संबंधी विविध अंशों पर दी गई आद्यता के अनुसार 40% तक माना जा सकता है। • शाला सहूलियतों का सुधार बी.आर. सी/सी.आर.सी, भवनों का निर्माण • सी.आर.सी. को अतिरिक्त कक्षा के रुप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। • कचहरी -भवनों के निर्माण के लिए किसी तरह के खर्च का संभरण नहीं किया जा सकता। • जिलाओं को मूलभूत सहूलियतों की योजनाओं को सिद्ध करना चाहिए।
7. शाला भवनों का निर्वहण तथा मरम्मत	• केवल शालाभिवृद्धि तथा व्यवस्थापक समितियों के द्वारा/वी.ई.सीस। • शाला समितियों द्वारा विशेष प्रस्तावना पर रु 5000/तक। • समुदायी देन के अंशों से युक्त रहना चाहिए। • भवन के कार्यों के लिए निश्चित 33% को गणना में लेते समय भवनों की मरम्मत तथा निर्वहणा खर्च उसमें निहित नहीं हो सकता।

	• अबतक जिनके खुद का शाला भवन है तो उन सरकारी शालाओं को अनुदान लभ्य है।
8. ई.जी.एस. (E.G.S) शालाओं को औपचारिक शालाओं में परिवर्तित करना	• हर शाला को बोधन व सीख सामग्रियों के लिए रु 10,000/- तक धनसहायता करना • शिक्षक और मातापिताओं को बोधन और सीख सामग्रियों के चुनने और खरीदने में भाग लेना। • बोधन और सीख सामग्री स्थलीय संदर्भ और अवश्यकतानुसार। • ग्राम शिक्षा समिति /शाला ग्राम स्तर की समुचित संस्था से (एस.ई.एम.सी) उत्तम खरीद-विधान का निर्णय। • पदोन्नत करने के पहले ई.जी.एस. केन्दों के सफलतापूर्वक दो सालों तक किये गये कार्य की परिगणना करनी चाहिए। • शिक्षक व कक्षाओं के लिए कमरों की सहूलियत।
9. उच्च प्राथमिक शालाओं के लिए बोधन व सीख सामग्री	• योजना व्याप्ति के अन्दर न आनेवाली शालाओं के लिए रु 50,000/- • शिक्षक/शालासमिति द्वारा निर्धारि /स्थलीय निर्दिष्ट अवश्यकतानुसार। • शालासमिति को शिक्षकों से समालोचना करके खरीदने के उत्तम विधान के बारे में निर्णय लेना चाहिए। • शाला समिति श्रेणियों में अनुकूलता कहने पर जिला स्तरों में खरीदने की सिफारिश करनी चाहिए। • खरीदने में संपूर्ण पारदर्शकता।
10. शाला-अनुदान	• शाला के अनुपयुक्त सामर्गियों को बदलने हर एक प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक शालाओं को हर साल रु 2000/- • उपयोग के बारे में पारदर्शकता। • ग्राम शिक्षा समिति/शालाप्रशासन समिति/ही खर्च करें।
11. शिक्षकों का अनुदान	• हर एक शिक्षक को प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शालाओं में हर साल रु 500/- • उपयोग में पारदर्शकता रहे।
12. शिक्षक-प्रशिक्षण	• सेवा में प्रस्तुत सभी शिक्षकों को हर साल 20 दिनों के प्रशिक्षण का अवसर देना, प्रशिक्षण रहित शिक्षकों को, जो नियुक्त किये गये हैं। उनको 60 दिनों का पुनश्चेतन कार्यक्रम। नया प्रशिक्षण प्राप्त करके नियुक्ति पायी शिक्षकों को 30 दिनों का परिचयात्मक-प्रशिक्षण प्रशिक्षण घटक खर्चा एक दिन के लिए रु 70/-.

	• घटक खर्चा केवल सूच्य है। आवास रहित प्रशिक्षण कार्यक्रम में यह कम रहता है। • प्रशिक्षण के सब खर्चो से युक्त रहता है। • मूल्य निर्णय अवधि में परिणामकारी प्रशिक्षण संबंधी सामर्थ्यों का निर्णय व्याप्ति के प्रमाण (मात्रा) का निर्णय। • प्रस्तुत शिक्षकों की शिक्षा योजना के लिए डी.एस.ई.आर.टी और डयट का सहयोग।
13. शैक्षणिक राज्य निर्वहण प्रशासन और प्रशिक्षण और प्रशिक्षण संस्था **(SIEMAT)**	• सकाल रु 3 करोड की सहायता। • इसे आगे बढ़ाकर जाने के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति रहे। • समर्थ शिक्षक समुदाय और विद्यार्थिगण का चुनाव।
14. समुदाय नेताओं का प्रशिक्षण	• साल में दो दिन ग्राम के अधिकतर महिलाओं के लिए-8 लोगों के लिए। • हर दिन घटक खर्चा रु 30/-
15. विशेष अवश्यकता युक्त बच्चों को शिक्षा।	• निर्दिष्ट प्रस्ताव के प्रकार विशेष अवश्यकता युक्त बच्चों की समन्वय शिक्षा के लिए हर बच्चे को एक साल के लिए रु 1200/ तक सहायता। • विशेष अवश्यकता युक्त हर एक बच्चे के लिए रु 1200/- मानदण्ड के अनुसार जिला-योजना। • संपन्मूल संस्थाओं के भाग लेने में प्रोत्साहन।
16. संशोधन मूल्यांकन पर्यवेक्षण और चेतावनी	• हर साल हर शाला के लिए रु, 1500/- • संशोधन और संपन्मूल सस्थाएँ-, संपन्मूल दलों के समूह के साथ राज्य के विशेष केन्द्रीकरण की साझेदारी। • संपन्मूल/ संशोधन संस्थाओं द्वारा परिणामकारी ई.एम.आई,एस.में मूल्यांकन और चेतावनी संबंधी सामर्थ्यो की अभिवृद्धि के लिए आद्यता • कुटुंब आँकडे के आधतन करने शाला की नक्शा/सूक्ष्म योजनाओं को रुपित करने के लिए अवसर कल्पित करना।

	• संपन्मूल व्यक्तियों के दलरचना द्वारा समुदाय आधारित आंकडे के जाँच पडताल, समुदाय आधारित आँकडा संशोधन अध्ययन, मूल्यांकन नियम और उनके कार्यकलाप, संपन्मूल व्यक्तियों द्वारा कक्षा का अवलोकन। • धन का कुल वितरण राष्ट्रीय, राज्य, जिला वलय और शाला स्तर में खर्च करना चाहिए। 1. राष्ट्रीय स्तर में हर शाला के लिए रु 100/- खर्च करना चाहिए। 2. राज्य, जिला/ बी. आर.सी/सी.आर.सी/शाला स्तर के खर्चे को राज्य/केन्द्र प्रशासित प्रदेश को निर्धारित करना चाहिए। इस खर्चे में मूल्यांकन। जाँचपडताल, एम.आई.एस.। कक्षा अवलोकन इत्यादि का खर्च निहित (युक्त) है। डी.एस.ई.आर.टी.को शिक्षकों की शिक्षायोजना के लिए आवश्यक सहयोग देना। 3. राज्य निर्दिष्ट जिम्मेदारियों को लेने के इच्छुक संपन्मूल संस्थाओं का भागलेना।
17. प्रबन्धक खर्चा।	• जिला योजना आयव्यय के 6% की सीमा पार नहीं करना है। • लक्ष्य मानव संपन्मूल और पी.ओ.एल. इत्यादि के मूल्यांकन के बाद कचहरी खर्चा विविध स्तरों पर तज्ञों की नियुक्ति आदि पर होनेवाले खर्चो से युक्त रहना चाहिए। • निर्दिष्ट जिला में प्राप्त होने की संभवनीय सामर्थ्य के आधार पर एम.ऐ.एस.समुदाय योजना प्रक्रिया, निर्माण कार्यकलाप, लिंगभेद इत्यादि में तज्ञों को आद्यता देना। • प्रबन्धकाखर्च या निर्वहण खर्च को राज्य/ जिला/ क्षेत्र/ समूह स्तरों पर परिणामकारी दलों की रचना के लिए उपयोग करना है। • बी.आर.सी/सी.आर.सी को ऐकल्टी कोपहचानने के लिए योजना पूर्व स्तर में ही आद्यता देनी चाहिए। ऐसा करने से तीव्र प्रक्रिया आधारित योजना के लिए एक दम मिलने की संभावना रहती है।

18. बालिकाओं की शिक्षा, शैशवावस्था में देखरेख और, प/जा/और प/व-समुदाय के बच्चों की शिक्षा। संबंधी हस्तखेप, विशेषतया उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा- इनसे संबंधति आविष्कृत कार्यकलाप।	1. हर आविष्कृत योजना के लिए रु 15 लाख तक तथा हर साल हर जिला को रु 50 लाख देना सर्वशिक्षा अभियान की जिम्मेदारी है। 2. शैशवावस्था में देखरेख शिक्षा और बालिकाओं की शिक्षा हस्तक्षेप की। समूलियतें जो प्रस्तुत योजनाएँ अब से पहले ही अनुमोदित घटक खर्चों से युक्त रहना है।
19. क्षेत्र संपन्मूल केन्द्र/समूह संपन्मूल केन्द्र।	1. सामान्यतया हर एक समुदाय अभिवृद्धि)सी.डी) वलयों में एक बी.आ.सी. है। फिर भी जिन राज्यों में शिक्षा क्षेत्र या वृत्त जैसे उपजिला शैक्षणिक प्रशासन संरचना रहकर उनकी व्याप्ति समुदाय आभिवृद्धि क्षेत्रों के साथ)सी.डी. वलयों के) सह-साम्यता युक्त नहीं हो तो ऐसी जगहों में राज्य बी.आर.सी. को खोल सकते हैं। लेकिन वैसे क्षेत्रों में वी.आर.सी और सी.आर.सी के आवर्तक और जो आवर्तक नहीं है उसका कुल खर्च एक समुदाय अभिवृद्धि क्षेत्र (सी.डी.ब्लाक) के एक.बी.आर.सी खर्च से अधिक नहीं होना चाहिए। 2. जहाँ तक हो सके बी.आर.सी/सी.आर.सी शाला आवरण में ही रहना चाहिए। 3. आवश्यक जगहों पर बी.आर.सी. भवन निर्माण के लिए रु 6 लाखों की वरिष्ठ परिमिति। 4. रु 2 लाख आवश्कथक सभी जगहों पर सी.आर.सी. भवन निर्माण के लिए अतिरिक्त कक्षा कमरों के लिए उपयोग करना। 5. किसी भी साल में इस कार्यक्रम में कुल योजना खर्च में बी.आर.सी.और सी.आर.सी. भवन निर्माण के लिए जिला योजना खर्च का अधिकतम 8% से अधिक नहीं होना चाहिए।

	6. बी.आर.सी और सी.आर.सी के कुल फैकलटी 100 से अधिक शाला युक्त वलयों में 20 तक छोटे वलयों में 10 तक वियुक्त करने का अवसर है। 7. बी.आर.सी. के लिए एक लाख रुपए और सी.आर.सी. के लिए रु 10,000 पीठोपकरण इत्यादि के लिए धन का अवकाश। 8. संभाव्य खर्च के लिए अनुदान हर साल बी.आर.सी.को रु 12500/- और सी.आर.सी को रु 2500/- (पूर्वसिद्धता स्तर में ही तीव्र चुनने की प्रक्रिया करने के बाद बी.आर.सी और सी.आर.सी फैकल्टी को पहचानना। 9. सभा, यात्रा, भत्ता, रु 500 हर महीना, हर बी.आर.सी. के लिए तथा सी.आर.सी. के लिए रु 200/- 10. टी.एल.एम. अनुदान रु 5000/- बी.आर.सी. के लिए एक साल के लिए रु 1000/- 11.(पूर्वसिद्धता स्तर में ही तीव्र चयन प्रक्रिया के बाद) (बी.आर.सी./सी.आर.सी. कार्यकर्तागण की पहचान)
20. शाला से बाहर रहनेवाले बच्चों के लिए हस्तक्षेप	1. मान्य मानदण्ड के अनुसार शिक्षा निर्दिष्ट योजना और पर्याय और नवीनीकृत शिक्षा, हस्तक्षेप। 2. शिक्षा सहूलियत रहित आवासों में शिक्षा निर्दिष्ट केन्द्रों की स्थापना। 3. अन्य पर्याय शाला नमूनों की स्थापना करना। 4. सेतुबन्ध कार्यागार, परिहार शिक्षा शाला आवरण में पुनःप्रवेश-इनके शिबिर।

अध्याय-5

वित्त व्यवस्था

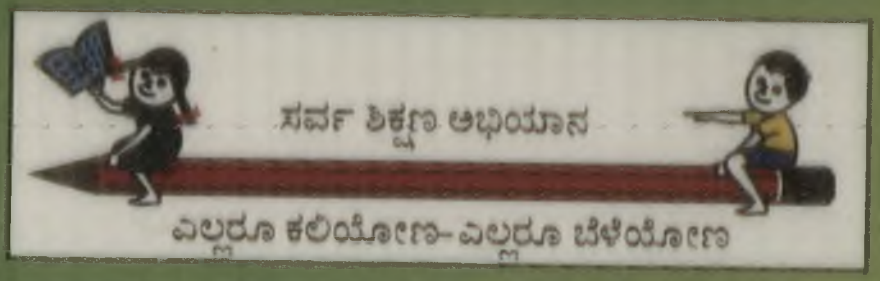

योजना पूर्व कार्यकलाप (पूर्वसिद्धता) :

भारत सरकार कर्नाटक राज्य के डी.पी.ई.पी. से अन्य जिलाओं को योजनापूर्व कार्यकलापों को चलाने अपनी आदेश संख्या **F 2-41/2000-DESK (EE)** ता 14 मार्च 2001 को रू. 241.51 लाख राज्य सरकार को मुक्त किया। राज्य सरकार अपनी आदेश संख्या **ED 164 MPE 99** ता 31 मई 2001 के अनुसार इसे एस.एस.ए.को मुक्त किया। पहचाने गये कार्यकलाप तथा अनुमोदित परिमाणों को सारणी बनाता है।

(रू. लाखों में)

जिला	जागृति कार्य क्रम	समीक्षा	डी पी. ओ.	आवास प्रदेश योजना	बी. ए. एस.	प्रशिक्षण	शाला सूचना फलक	दाखली करण	कुल
बेंगलोर (उ)	4.00	8.00	2.00	3.50	0.45	2.50	1.70	0.90	23.05
बेंगलोर (द)	5.00	6.00	2.00	3.50	0.45	2.00	2.28	-	21.23
तुमकूर	5.00	6.00	1.50	3.50	0.45	2.50	6.86	-	25.86
चित्रदुर्गा	6.00	4.00	1.60	2.50	0.45	3.50	4.26	-	22.31
दावणगेरे	5.00	4.00	1.60	1.50	0.45	3.00	2.68	0.63	18.86
शिमोगा	4.00	4.00	2.00	2.25	0.45	4.00	4.21	-	20.91
चिक्कमगलूर	6.00	3.00	1.60	2.40	0.45	2.50	3.20	1.14	20.29
हासन	8.00	4.00	1.00	2.70	0.45	1.80	5.12	-	23.07
कोडगु	2.50	2.55	2.00	0.95	0.45	1.40	0.76	0.05	10.66
दक्षिण कन्नड	5.00	4.00	2.00	3.50	0.45	3.00	2.22	-	20.17
उडुपी	3.00	3.50	1.80	2.00	0.45	2.00	1.74	-	14.49
उत्तर कन्नड	6.00	3.50	2.00	2.40	0.45	2.00	4.26	-	20.61
कुल	59.50	52.55	21.10	30.70	5.40	30.20	39.31	2.72	241.51

यद्यपि भारत सरकार ने इस निधि को ता 14 की मार्च 2001 को ही मंजूर किया था जिलाओं तक उसके पहूँचने में काफी समय लग गया जिसके फलस्वरूप ये सभी कार्यकलाप 2001-2002 को ही संभव हो सके ।

डी.पी.ई.पी को आगे बढाने के कारण भारत सरकार राष्ट्रीय निधि में रू. 38.24 लाख अपनी आदेश संख्या **F 15-1/2001** डी.पी.ई.पी 9 ता 18 सितंबर 2001 के जैसे प्रथम स्तर के डी.पी.ई.पी. जिले बेलगाँव कोलार, मण्ड्या, रायचूर और कोप्पल को मुक्त किया। राज्य सरकार इस धन को अपनी आदेश संख्या **ED-2R MCD 2001** ता 11 दिसंबर 2001 को मुक्त किया। डी.पी.ई.पी. के द्वितीय स्तर के जिलों ने रू. 115.30 लाख को पूर्व सिद्धता कार्यकलापों के लिए जून 2002 में प्राप्त किया।

जब ये कार्यकलाप प्रगतिपथ में रहे, राज्य ने वार्षिक क्रिया योजना और आयव्यय को **(AWP&Bs)** सभी जिलाओं के लिए सिद्ध करके अनुमोदनार्थ भारत सरकार को पेश किया।

वार्षिक क्रिया योजना और आयव्यय (A.W.P. & Bs)

योजना अनुमोदन निगम ने **(PAB)** डी.पी.इ.पी. मे अन्य जिलाओं के लिए अपनी आदेश संख्या **F 2-4/2001-DPEP-4** ता 18 दिसंबर 2001 को रू. 6022.00 लाख को रू. 486.62 लाख को 16 डी.पी.ई.पी. जिलाओं को अपनी आदेश संख्या **F 2-5/2001-DPEP-5** ता 27 मार्च 2002 को मुक्त किया। इसे मार्च 2002 के अंतिम समय में मुक्त करने पर भी धन को नैजरूप से जून जुलाई 2002 मे प्राप्त किया गया ।

2001-02 साल तैजनः पूर्वसिद्धता वर्ष होने के कारण धन के आंशिक भाग को 2002-03 को ले लिया गया ।

हिसाब का लेखा परीक्षा :

2001-02 साल के हिसाब की लेखा परीक्षा करके रिपोर्ट (रपट) दिया गया है ।

अध्याय-6

लेखा - परीक्षा कृत हिसाब

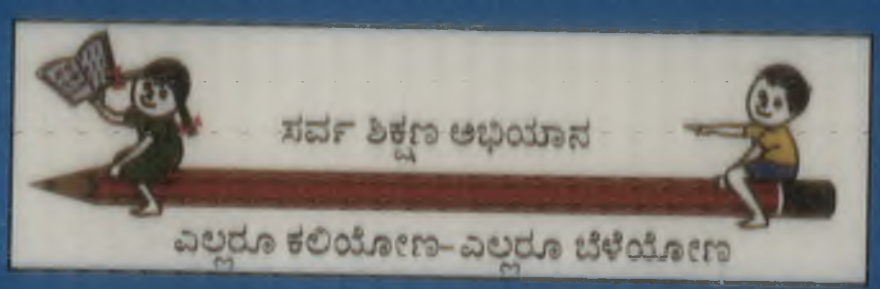

Cuddapah Ramesh & Co.,
Chartered Accountants
Prop. : C. Ramesh, M.Com., FCA

No. 23, 'Anand', II Floor,
Hare Krishna Road,
Near Shivananda Circle,
Bangalore - 560 001.
Ph : 2281975

To

The Director
Primary Education & State Project Director,
Sarva Shiksha Abhiyana,
New Public Office; Nrupathunga Road,
Bangalore - 560 001.

Dear Sir,

Sub : Audit of Accounts of SSA (CPI) for the year 2001-2002.
Ref : Consulting services Agreement for Audit of Accounts of SSA for the year 2001-02.

As per the Audit programme, we have taken up the Audit of the captioned accounts Financial Year ended 31-03-2002. We have completed the Audit for the said year. We had submitted the Financial Statements, Audit Reports and Management Letter earlier. Thereafter, we have received some more details from few Districts, accordingly we have recorrected Financial Statements, Audit Reports and Management Report.

We are submitting recorrected Financial Statements, Audit Reports and Management Letter for your perusal.

We have already submitted our bills for the professional services rendered in connection with the Audit along with claim for reimbursement of expenses on 24-09-2003 for a total sum of Rs. 99,590/- (Rs. 60,000/- towards Audit Fee and Rs. 39.590/- towards reimbursement of expenses).

As we have completed the entire assignments we request you to pay us the Audit Fee and claim for Travelling Allowance and DA, at the earliest.

Please acknowledge the receipt of the reports and tender your Cheque at the earliest.

Thanking you,

Yours Sincerely,

For Cuddapah Ramesh & Co.,
Chartered Accountants

C. RAMESH
M.No. 22268
Place : Bangalore
Date : 15.10.2003

Cuddapah Ramesh & Co.,
Chartered Accountants

No. 23, 'Anand', II Floor,
Hare Krishna Road,
Near Shivananda Circle,
Bangalore - 560 001.
Ph : 2281975

AUDITOR'S REPORT

We have audited the attached Balance Sheet as at 31.03-2002 and the Income and Expenditure Account for the period ended on that date of "SARVA SHIKSHA ABHIYANA" Office of the Commissioner of Public Instructions, New Public Office; Nrupathunga Road, Bangalore-560 001 and units at Bangalore South, Bangalore North, DSERT, DIET Rural, DIET Urban and Districts at Chickmagalore, Chitradurga, Mangalore, Udupi, Kodagu, Uttara Kannada, Hassan, Shimoga, Tumkur and Davangere and report that :

(a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for purpose of Audit.

(b) Proper Books of Accounts as considered necessary for the purpose of Audit, have been maintained. The books of Accounts are maintained on single entry system of Book Keeping and at Districts no separate ledgers are maintained.

(c) Separate Bank Accounts have been maintained, in respect of the project funds, subject to our comments in Management Report.

(d) SPD Office and other District Offices under Audit in agreement with the Books of Account and other records maintain the Balance Sheet and the Income and Expenditure Account under report.

(e) In our opinion and to the best of the information and explanations given to us, the said Accounts read together with accounting policies and notes thereon, give a true and fair view subject to our comments made in management report dated 30-07-2003.

(i) In the case of the Balance Sheet of the state of affairs of the "Project" as on 31st March, 2002 and

(ii) In the case of the Income and Expenditure Account, of the Income over Expenditure for the year ended on that date.

For Cuddapah Ramesh & Co.,
Chartered Accountants

C. RAMESH
M.No. 22268
Place : Bangalore
Date : 15.10.2003

Cuddapah Ramesh & Co.,
Chartered Accountants

No. 23, 'Anand', II Floor,
Hare Krishna Road,
Near Shivananda Circle,
Bangalore - 560 001.
Ph : 2281975

Accounting Policies and Notes Formating Part of the Financial Statements for the year 2001-2002

1. CASH BASIS OF ACCOUNTING :

   Grants received from Government of India and Government of Karnataka have been accounted for on cash basis and similarly grants disbursed to the various districts have also been accounted for on cash basis.

2. ACCOUNTING TREATMENT OF CAPITAL EXPENDITURE :

   (a) Grants received have been accounted as Revenue during the year.

   (b) Expenditure incurred has been generally accounted on cash basis.

3. Depreciation on Fixed Assets has not been provided for in the Annual Financial statement as the project is a Non-Profit Organisation.

4. The Advances under various heads are subject to reconciliation and confirmation.

For Cuddapah Ramesh & Co.,
Chartered Accountants

C. RAMESH
M.No. 22268
Place : Bangalore
Date : 15.10.2003

Cuddapah Ramesh & Co.,
Chartered Accountants

No. 23, 'Anand', II Floor,
Hare Krishna Road,
Near Shivananda Circle,
Bangalore - 560 001.
Ph : 2281975

AUDIT CERTIFICATE

The Expenditure Statements and Financial Statements relating to the project "SARVA SHIKSHA ABHIYANA", Karnataka for the year ended 31st March 2002 attached hereto have been audited in accordance witht he regulations and standards of auditing practices, and accordingly included such tests of accounting records, internal checks and controls and other auditing procedures necessary to confirm

(a) that the resources are used for the prupose of the project, and

(b) that the expenditure statements and financial statements are correct.

During the course of the Audit referred to above statements of expenditure (Annexure Enclosed) and the connected documents were examined and they can be relied upon to support reimbursement under the aforesaid loan/credit agreement.

On the basis of the information and explanations that have been obtained as required and according to the best of information as a result of the test Audit, it is certified that the Expenditure Statements and Financial Statements read with the notes attached herewith represent a true and fair view of the implementation (and operations) of the project for the year ended 31st March 2002.

For Cuddapah Ramesh & Co.,
Chartered Accountants

C. RAMESH
M No. 22268
Place : Bangalore
Date : 15.10.2003

Cuddapah Ramesh & Co.,
Chartered Accountants

No. 23, 'Anand', II Floor,
Hare Krishna Road,
Near Shivananda Circle,
Bangalore - 560 001.
Ph : 2281975

MANAGEMENT REPORT

We have Audited the Accounts of the Districts covered under the "SARVA SHIKSHA ABHIYANA" during the course of Audit, we have verified the Receipts and Payments Accounts of the District covered under "SARVA SHIKSHA ABHIYANA". In connection to the Audit Report and Audit Certificate we fruther report on the conduct of the Programme and Maintenance of the accounts.

1. The existing Accounting Systems, with regard to books keeping of the Project Transactions, Reimbursement claims, Release of Funds and monitoring of their Utilisation are in accordance with accepted terms.

2. We observed that the Bank Reconciliation Statement is either wrongly prepared or not prepared in most of the cases.

3. The Internal control over financial transactions is not adequate and needs to be strengthened. We also recommended for the regular inspection from the DDPI's Office The irregularities in work at BEO and BRC level can be controlled.

4. In our opinion the regular inspection is to be conducted by the DDPI Office with BEO and BRC Office to verify the expenses incurred for the funds allotted by them.

5. The Internal Audit system is to be strengthened considering the Project and commensurate with its size and the nature of its activities. Introduction of the Internal Audit system from the outside is recommended in order to ensure proper accounting and utilization of funds.

6. We have come across instance, wherein advances received from DDPI's Office by BEO and BRC Office for various expenditure like programmes and training are not being settled within a reasonable period of time.

7. The closing advances have not been reconciled with BEO and BRC and other 'Agencies' at the end of year.

8. Compliance of Financial Covenants : The records and accounts maintained at SPD Office and various District Officers are based on the accepted accounting principles, practices and norms prescribed for the Project.

Cuddapah Ramesh & Co.,
Chartered Accountants

No. 23, 'Anand', II Floor,
Hare Krishna Road,
Near Shivananda Circle,
Bangalore - 560 001.
Ph : 2281975

9. We have noticed at DSERT, DIET Rural and DIET Urban that, there are no separate Bank Accounts are opened for "SARVA SHIKSHA ABHIYANA". We suggest you to advise them to open separate Bank Account for "SARVA SHIKSHA ABHIYANA"

10. In most of the cases, Utilisation Certificate/Vouchers for School Grants/Display Board and Wall Painting/Census and Contingency grant given to BEO and BRC's are not made available for our verification

11. The Funds released from State Project Director to BEO's and DIET Principal towards Chinnarangala account, the payment made to BEO's are included in the Books of Districts i.e. DDPI's Office. The DIET Principal has showed separately as advances paid towards, Chinnarangala account. Henace, details are to be furnished at the time of next year Audit.

12. At the following Places we find it very difficult to get Books of Accounts for Audit. Instead of contacting Accounts Department to produce Books of Accounts for Audit, we have contacted Individual person based on Officer's advice. Please advise them to produce Books of Accounts from Accounts Department in future.

    1. DSERT
    2. DIET Urban

13. None of the Districts have produced Utilisation Certificate.

For Cuddapah Ramesh & Co.,
Chartered Accountants

C. RAMESH
M.No. 22268
Place : Bangalore
Date : 15.10.2003

SARVA SHIKSHA ABHIYANA : KARNATAKA

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF PUBLIC INSTRUCTIONS
New Public Offices, Nrupatunga Road, Bangalore - 560 001

BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH 2002

LIABILITIES	SHL No.	AMOUNT Rs.	ASSETS	SHL No.	AMOUNT Rs.
General Fund			Fixed Assets		
			Office Equipments		108,099
Income & Expenditure A/c		103,117,229	(Modi Xerox Machine)		
Advance A/c	A	4,677,477	Cash & Bank Balance	B	93,210,524
Audit Fee Payable		Advance & Deposits			
Cuddapah Ramesh & Co		60,000	Deposits	C	504,000
			Advance	D	14,032,083
Total		107,854,706	Total		107,854,706

Subject to our Report of Even Date
For Cuddapah Ramesh & Co.,
Chartered Accountants

C. RAMESH
M.No. 22268
Place : Bangalore
Date : 30.07.2003

STATE PROJECT DIRECTOR
SARVA SHIKSHA ABHIYAN

SARVA SHIKSHA ABHIYANA : KARNATAKA

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF PUBLIC INSTRUCTIONS
New Public Offices, Nrupatunga Road, Bangalore - 560 001

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31St MARCH, 2002

LIABILITIES	AMOUNT Rs.	INCOME	Rs.	AMOUNT Rs.
To Training /SDMC/EMIS/etc.	5,481,822	By Grants From Govt. of India	10,32,21,000	
Printing & Stationery	1,149,532	Grants from Govt. of Karnataka	1,28,76,200	116,097,200
School Grants	1,393,442			
Contingency	374,999	Interest Received from Bank		262,701
Display Board & Wall Painting	3,277,210			
Census	1,409,547			
Transportation Charges	21,393			
Advertisement	35,475			
Bank Charges	18,760			
Telephone Charges	2,000			
Vehicle Maintenance	18,492			
Audit Fee	50,000			
Excess of Income over Expenditure	103,117,229			
Transferred to General Fund				
Total	116,359,901	Total		116,359,901

Subject to our Report of Even Date
For Cuddapah Ramesh & Co.,
Chartered Accountants

C. RAMESH
M.No. 22268
Place : Bangalore
Date : 30.07.2003

STATE PROJECT DIRECTOR
SARVA SHIKSHA ABHIYAN

Annexure - A
LIABILITIES

SARVA SHIKSHA ABHIYANA : KARNATAKA

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF PUBLIC INSTRUCTIONS
New Public Offices, Nrupatunga Road, Bangalore - 560 001

SCHEDULE TO BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH 2002

PARTICULARS	SPO	B'LORE SOUTH	B'LORE NORTH	DSERT	DIET RURAL	DIET URBAN	CHICK-M'LORE	CHITRA-DURGA	MANGA-LORE	UDUPI	KODAGU	KARWAR	HASSAN	SHI-MOGA	TUMKUR	DAVAN-GERE	TOTAL Rs.
Advance Received A/c																	
Initial Deposit		500	500				600	1,250	1,000	1,000		1,500	100	1,600	2,760	200	11,010
Chinnarangala Refund 00-01	777,743																777,743
DDPI North					45,300	250,000											295,300
DSERT				15,000					17,000			17,000				17,000	66,000
Teacher Benefit Fund				700,000													700,000
DDPI Accounts Section		212,800															212,800
Advance / North II			165,560														165,560
Advance North III			230,100														230,100
Advance / Chinnarangala							197,240	209,352		23,800	35,700	1,469,492	82,560			159,120	2,177,264
DIET Davangere																30,000	30,000
DGI Govt. Girls High School																12,500	12,500
Total		212,500	396,160	715,000	45,300	250,000	197,840	210,602	18,000	24,800	35,700	1,487,992	82,660	1,600	2,760	218,820	4,677,477

For Cuddapah Ramesh & Co.,
Chartered Accountants

C. RAMESH
M.No. 22268
Place : Bangalore
Date : 30.07.2003

STATE PROJECT DIRECTOR
SARVA SHIKSHA ABHIYAN

SARVA SHIKSHA ABHIYANA : KARNATAKA

Annexure - B

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF PUBLIC INSTRUCTIONS
New Public Offices, Nrupatunga Road, Bangalore - 560 001

STATEMENT OF BANK BALANCE AS ON 31st MARCH 2002

DISTRICTS	OPENING BALANCE Rs.	CASH AT BANK Rs.	TOTAL Rs.
SPD	1,000	70,794,126	70,793,126
Bangalore South		2,010,444	2,010,444
Bangalore North		2,539,158	2,539,158
DSERT		586,925	586,925
DIET Rural		6,627	6,627
DIET Urban		193,343	193,343
Chickmagalur		2,015,897	2,015,897
Chitradurga		3,092,086	3,092,086
Mangalore		686,941	686,941
Udupi		917,790	917,790
Kodagu		868,640	868,640
Uttara Kannada		1,206,650	1,206,650
Hassan		1,945,689	1,945,689
Shimoga		1,527,848	1,527,848
Tumkur		2,148,322	2,148,322
Davangere		2,671,038	2,671,038
Total	1,000	93,211,524	93,210,524

For Cuddapah Ramesh & Co.,
Chartered Accountants

C. RAMESH
M.No. 22268
Place : Bangalore
Date : 30.07.2003

STATE PROJECT DIRECTOR
SARVA SHIKSHA ABHIYAN

लेखा - परीक्षा कृत हिसाब

SARVA SHIKSHA ABHIYANA : KARNATAKA

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF PUBLIC INSTRUCTIONS

New Public Offices, Nrupatunga Road, Bangalore - 560 001

STATEMENT OF ADVANCE & DEPOSITS ACCOUNT AS ON 31st MARCH 2002

PARTICULARS	SPO	B'LORE SOUTH	B'LORE NORTH	DSERT	DIET RURAL	DIET URBAN	CHICK-M'LORE	CHITRA-DURGA	MANGA-LORE	UDUPI	KODAGU	UTTARA KA NNADA	HASSAN	SHI-MOGA	TUMKUR	DAVAN-GERE	TOTAL Rs.
Deposits																	4,000
Telephone	4,000														500,000		500,000
Fixed Deposit															500,000		504,000
Total	4,000																
ANNEXURE - D																	434,900
Bangalore Urban	434,900																531,600
Tumkur	531,600																1092,400
Davangere	1,092,400																281,000
Shimoga	281,100																202,600
Chickmagalur	202,600																82,900
Mangalore	82,900																274,200
Hassan	274,200																97,000
Kudige	97,000																173,300
DIET Kumta	173,300																40,000
HUDCO Planning	40,000																8,900,000
DPEP Chinnarangala A/c	8,900,000																49,000
South Division K.R. Puram		49,000															44,000
South Division Anekal		44,000															46,750
South Division Tulasithota		46,750															44,000
South Division KIMS		44,000															44,000
South Division Jayanagar		44,000															
DIET A/c																	250,000
Urban			250,000														43,300
DIET Rural			28,300	15,000													14,075
Shimoga				14,075													17,000
Bangalore North				17,000													17,000
Bangalore South				17,000													17,000
Mangalore				17,000													17,000
Uttara Kannada				17,000													17,000
Chickmagalur				17,000													17,000
Udupi				17,000													17,000
Madugiri				17,000													17,000
Madikeri				17,000													17,000
Tumkur				17,000													10,410
Hassan				10,410													17,000
Davangere				17,000													17,000
Chitradurga				17,000													1,500
Shimoga				1,500								318,150					319,650
Kumta				1,500								16,350					15,350
Batkal												13,100					13,100
Siddapura												14,750					14,750
Haliyal																	

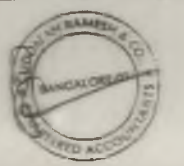

STATE PROJECT DIRECTOR
SARVA SHIKSHA ABHIYAN

PARTICULARS	SPO	B'LORE SOUTH	B'LORE NORTH	DSERT	DIET RURAL	DIET URBAN	CHICK-M'LORE	CHITRA-DURGA	MANGA-LORE	UDUPI	KODAGU	UTTARA KANNADA	HASSAN	SHI-MOGA	TUMKUR	DAVAN-GERE	TOTAL Rs.
Advance A/c Eariaiah/Krishnaiah and Byrappa																	
Zolda															60,000		60,000
DIET												1,650					1,650
BEO													24,300	24,300	24,300		72,900
BEO Tumkur													31,000				31,000
Kunigal															29,100		29,100
Gubbi															25,920		25,920
Turvekere															22,200		22,200
C.N. Halli															18,780		18,780
Tiptur															18,840		18,840
Madugiri DDPI															16,920		16,920
DDPI Chickmagalur				1,500											460,340		460,340
DIET Mangalore				3,000													1,500
Tumkur				3,000													3,000
Davangere				3,000													3,000
Madikeri				1,500													3,000
Hassan				1,500													1,500
Bangalore Urban				3,000													1,500
BRAC Mudigere				35,000													3,000
Jameel Ahamed Principal					5,000												35,000
Recovery																	5,000
														10,048			10,048
Total	12,110,000	227,750	278,300	280,986	5,000	-	-	-	-	-	-	384,000	65,300	34,348	676,400	-	14,032,083

For Cuddapah Ramesh & Co.,
Chartered Accountants

C. RAMESH
M.No. 22268
Place : Bangalore
Date : 30.07.2003

STATE PROJECT DIRECTOR
SARVA SHIKSHA ABHIYAN

SARVA SHIKSHA ABHIYANA : KARINATAKA

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF PUBLIC INSTRUCTIONS
New Public Offices, Nrupatunga Road, Bangalore - 560 001

CONSOLIDATED RECEIPTS FOR THE YEAR ENDED 31.03.2002

PARTICULARS	SPO	B'LORE SOUTH	B'LORE NORTH	DSERT	DIET RURAL	DIET URBAN	CHICK-M'LORE	CHITRA-DURGA	MANGA-LORE	UDUPI	KODAGU	UTTARA KANNADA	HASSAN	SHI-MOGA	TUMKUR	DAVAN-GERE	TOTAL Rs.
To Opening Balance																	
Cash at Bank	1,000																1,000
Grants from Govt. of India	103,221,000																103,221,000
Grants from Govt. of Karnataka	12,876,200																12,876,200
Initial Deposit		500	500				600	1,250	1,000	1,000		1,500	100	1,600	2,760	200	11,010
Interest Received from Bank	161	1,209	27,077				31,814	35,713	23,560	24,285	17,386	27,189	1,587	28,706	16,777	25,135	262,701
Amount Transferred SPO		2,950,000	3,037,200	481,000			2,518,800	3,709,200	2,089,000	1,495,200	1,283,000	2,514,000	3,059,600	2,883,200	4,002,800	3,672,200	33,795,200
Chinnarangala Refund / 00-01	777,743																777,743
DDPI North					45,300	250,000											295,300
DSERT					15,000				17,000			17,000				17,000	66,000
Teachers Benefit Fund				700,000													700,000
DDPI Accounts Section		212,000															212,000
Advance / North II			165,560														165,560
Advance / North III			230,100														230,100
Chinnarangala / Adv / Recd.							157,240	209,352		23,800	35,700	1,469,492	82,560			159,120	2,177,264
DIET Davangere																30,000	30,000
DGI Govt. Girls High School																12,500	12,500
Total	116,876,104	3,163,709	3,460,437	1,181,000	60,300	250,000	2,849,454	3,988,515	2,130,560	1,344,285	1,336,086	4,026,181	3,143,947	2,913,506	4,024,337	3,916,155	154,833,578

For Cuddapah Ramesh & Co.,
Chartered Accountants

C. RAMESH
M.No. 22268
Place : Bangalore
Date : 30.07.2003

STATE PROJECT DIRECTOR
SARVA SHIKSHA ABHIYAN

SARVA SHIKSHA ABHIYANA : KARNATAKA

Office of the Commissioner of Public Instructions, New Public Office, Nrupatunga Road, Bangalore - 560 001

CONSOLIDATE PAYMENTS FOR THE YEAR ENDED 31.03.2002

PARTICULARS	SPO	B'LORE SOUTH	B'LORE NORTH	DSERT	DIET RURAL	DIET URBAN	CHICK-M'LORE	CHITRA-DURGA	MANGA-LORE	UDUPI	KODAGU	UTTARA KANNADA	HASSAN	SHI-MOGA	TUMKUR	DAVAN-GERE	TOTAL Rs.
By Bank Charges	388	1,565	1,175				2,831	3,214		1,193	280		1,276	4,437	1,580	701	18,760
Grants to Districts																	
Bangalore South	2,950,000																2,950,000
Bangalore North	3,037,200																3,037,200
DSERT	481,000																481,000
Chickmagalur	2,518,800																2,518,800
Chitradurga	3,709,200																3,709,200
Mangalore	2,089,000																2,089,000
Udupi	1,495,200																1,495,200
Kodagu	1,283,000																1,283,000
Uttara Kannada	2,514,000																2,514,000
Hassan	3,059,600																3,059,600
Shimoga	2,883,200																2,883,200
Tumkur	4,002,800																4,002,800
Davangere	3,672,200																3,672,200
DIET A/c																	
Bangalore Urban	434,900																434,900
Tumkur	531,600																531,600
Davangere	1,092,400																1092,400
Shimoga	281,100																281,100
Chickmagalur	202,600																202,600
Mangalore	82,900																82,900
Hassan	274,200																274,200
Kudige	97,000																97,000
Kumta	173,300																173,300
Training / SDMC / EMIS etc.	170,731	545,273	192,060	98,744	44,673	56,657	449,947	533,885	898,323	327,702	347,349	156,186	234,315	551,458	120,135	792,664	5,481,822
Telephone Deposit	4,000																4,000
Advance to HUDCO Planning	40,000																40,000
DPEP / Chinnarangala A/c	8,900,000																8,900,000
Printing & Stationery	1,859	110,723	190,089	199,953	4,000			46,980	15,200	69,550		158,748	147,607	131,925	41,258	31,290	1,149,532
South Division K.R. Puram		49,000															49,000
South Division Anekal		44,000															44,000
South Division Tulasithota		46,750															46,750
South Division KIMS		44,000															44,000
South Division Jayanagar		44,000															44,000
Purchase of Mod Xerox Machine		108,099															108,099
Contingency		6,935	16,750					350			11,799		240,510		98,655		374,999
Display Board & Wall Painting		152,800	200,300				341,472	55,300	221,216	116,400	107,520	656,705	452,880	488,915	235,195	347,537	3,277,210
Census			42,025				138,307	223,710	347,880	111,[illegible]		93,450	65,400	136,100	177,300	72,725	1,409,547
DIET Urban			250,000														250,000
DIET Rural			28,300	15,000													43,300
DDPI A/c				14,075													14,075

STATE PROJECT DIRECTOR
SARVA SHIKSHA ABHIYAN

PARTICULARS	SPO	B'LORE SOUTH	B'LORE NORTH	DSERT	DIET RURAL	DIET URBAN	CHICK-M'LORE	CHITRA-DURGA	MANGA-LORE	UDUPI	KODAGU	UTTARA KANNADA	HASSAN	SHI-MOGA	TUMKUR	DAVAN-GERE	TOTAL Rs.
Bangalore North				17,000													17,000
Bangalore South				17,000													17,000
Mangalore				17,000													17,000
Uttara Kannada				17,000													17,000
Chickmagalur				17,000													17,000
Udupi				17,000													17,000
Madugiri				17,000													17,000
Madikeri				17,000													17,000
Tumkur				17,000													17,000
Hassan				10,410													10,410
Davangere				17,000													17,000
Chitradurga				17,000													17,000
Transportation Charges				14,393											7,000		21,393
DIET Shimoga				1,500													1,500
DIET Kumta				1,500								318,150					319,650
Batkal												16,350					16,350
Siddapura												13,100					13,100
Haliyal												14,750					14,750
Zoida												1,650					1,650
School Grants												1,393,442					1,393,442
DIET													24,300	24,300	24,300		72,900
BEO													31,000				31,000
Advertisement														35,475			35,475
Recovery														10,048			10,048
Telephone Charges														2,000			2,000
BEO Tumkur															29,100		29,100
Kunigal															25,920		25,920
Gubbi															22,200		22,200
Turuvekere															18,780		18,780
C.N. Halli															18,840		18,840
Tiptur															16,920		16,920
Fixed Deposit															500,000		500,000
Madugiri DDPI															460,340		460,340
Vehicle Maintenance															18,492		18,492
Advances															60,000		60,000
DDPI Chickmagalur				1,500													1,500
DIET Mangalore				3,000													3,000
DIET Tumkur				3,000													3,000
DIET Davangere				3,000													3,000
DIET Madikeri				1,500													1,500
DIET Hassan				1,500													1,500
DIET Bangalore Urban				3,000													3,000
BRC Mudigere				35,000													35,000
Jameel Ahamed Principal					5,000												5,000
Closing Balance																	
Cash at Bank	70,794,126	2,010,444	2,339,158	586,925	3,827	193,343	2,015,997	2,092,086	686,941	917,780	666,640	1,206,650	1,946,689	1,527,848	2,146,322	2,671,038	93,211,524
G. Total	118,876,104	3,163,709	2,460,437	1,181,000	60,300	250,000	2,848,454	3,985,515	2,130,968	1,344,285	1,336,088	4,029,181	3,143,947	2,513,606	4,024,337	3,916,156	154,833,576

For Cuddapah Ramesh & Co.,
Chartered Accountants

C. RAMESH
M.No. 22268
Place : Bangalore
Date : 30.07.2003

STATE PROJECT DIRECTOR
SARVA SHIKSHA ABHIYAN

हमारा ध्येय

शाला के व्यवहारों में समुदाय क्रियात्मक
भाग लेने के द्वारा सभी सामाजिक
व लिंग संबंधी खाई
को पाटकर ई 2001 तक सब को तृप्तिकर
गुणवत्ता पूर्ण प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना।